

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_176077

UNIVERSAL
LIBRARY

OUP—68—11-1-68—2,000.

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. **H420.9** Accession No. **PG H2**
Author **M 95B**
मुकजा , श्रीधरनाथ
Title **भारत में अंग्रेजी शिक्षा काशी**

This book should be returned on or before the date
last marked below. **19.**

भारत में अँग्रेजी शिक्षा का इतिहास

लेखक

श्रीधरनाथ मुकर्जी, एम. ए., बी. टी., टी. डी. (लन्दन),
डिप. एड. (डब्लिन)

आचार्य,

अध्यापन महाविद्यालय, बड़ौदा



वोरा अण्ड कंपनी पब्लिशर्स लिमिटेड

३, राअुंड बिल्डिंग, कालबादेवी, बंबाीं २.

प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री
श्री रामभाऊ परुलेकर को
सश्रद्धाञ्जलि

प्रथम संस्करण : जनवरी १९४९

मूल्य १।।)

मुद्रक—आर. आर. बखले, बम्बळी वैभव प्रेस, सॅन्डहर्स्ट रोड, बम्बळी नं. ४
प्रकाशक—अम. के. वीरा, वीरा अँड कंपनी पब्लिशर्स लिमिटेड,
३, राबुंड बिल्डिंग, बम्बळी नं. २

निवेदन

अस छोटी सी पुस्तक के लिखने की आवश्यकता बतलाने की कोअी भी जरूरत नहीं है । स्वाधीन भारत में शिक्षासुधार की पुकार मची हुअी है, और यह माँग अुचित ही है । लेकिन आधे से ँयादा शिातित भारतवासी देश की आधुनिक शिाा से पूर्णतया अपरिचित हैं ।

यों तो अँग्रेजी भाषा में अस विषय पर कअी किताबें मौजूद हैं, पर राष्ट्र-भाषा में अस ओर कोअी भी चेष्टा नहीं की गअी है । अस कमी को दूर करने के लिअे, मैंने अस पुस्तक को लिखने का साहस किया है ।

किताब संक्षेप में लिखी गअी है, पर सभी अुल्लेखयोग्य घटनाओं का असमें वर्णन है । पेंचीले मामलों पर जानबूझकर ँयादा बहस नहीं की गअी है, ताकि अेक साधारण मनुष्य भी अस विषय में काफ़ी दिलचस्पी ले सके ।

असके लिखने में अवश्य त्रुटियाँ रह गअी होंगी । पाठकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि पत्र द्वारा वे मेरा ध्यान अस ओर आकर्षित करें । अगले संस्करण में अुन्हें दूर करने की मैं भरसक कोशिश करूँगा ।

पुस्तक की पाण्डुलिपि संशोधित करने में मुझे, मध्यप्रांत के भूतपूर्व शिक्षा-सेक्रेटरी रायबहादुर पण्डित महेशदत्त पाठक ने बहुत कुछ मदद दी है, जिसके लिअे मैं अुनका आभारी हूँ ।

बड़ौदा, }
१-८-४८ }

लेखक

विषय-सूची

	पृष्ठ
निवेदन	५
विचार-प्रवाह	७
पहला अध्याय - अतीत	९
दूसरा अध्याय—कम्पनी के शासनकाल में	१५
तीसरा अध्याय—अुन्नीसवीं शताब्दी का उत्तरार्ध (१८५४-१८६८)	३१
चौथा अध्याय—ऋजन की करतूत (१८६८-१९०४)	६९
पाँचवाँ अध्याय—सधार की ओर (१९०४-१९) ..	४५
छठा अध्याय—स्वाधीनता के पथ पर (१९२०-४७) ...	५१
सातवाँ अध्याय—संशोधन की चेष्टाओं	६१
आठवाँ अध्याय—शिक्षा में विद्रोह	७५
—अुपसंहार	८१
परिशिष्ट पहला—टिप्पणियाँ	८६
परिशिष्ट दूसरा—आंकिक कोष्टक	९०
ग्रन्थ—सूची	९१
अनुक्रमणिका	९२

विचार—प्रवाह

‘वर्तमान शिक्षा—प्रणाली ने भारत के नौजवानों को, हिन्दुस्तान की भाषाओं को और देश की सर्वमान्य संस्कृति को जो अपार हानि पहुँचायी है, उसको मैं बहुत तीव्रता के साथ अनुभव किया करता हूँ ।’
—महात्मा गान्धी

‘हम लोग चाहे जितनी ही बी. ए., एम. ए. की डिग्रियाँ हासिल करें या गट्टेभर किताबें रटें, पर हमारी बुद्धि उस अनुपात में बलवान या परिपक्व नहीं हो पाती । न हमारे मुट्टी ही में कुछ आता है, न हमारे मस्तिष्क का ही विकास हो पाता है, और न हम खुद के पाँव पर खड़े ही हो पा रहे हैं । हमारे विचार, बातचीत, आचार—व्यवहार नाबालिगों की नाओं रह जाता है । अिसी कारण, हम अपनी मानसिक कमजोरी को व्यर्थ आडम्बर और आत्मश्लाघा से ढाँकने की चेष्टा करते हैं ।’
—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

‘अपनी शिक्षा-पद्धति में हम हाथ जोड़कर सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं । हमें अपनी विचार-शक्ति बढ़ाने की बहुत जरूरत है ।’
—राधाकृष्णन्

‘शिक्षा के पुनरुद्धार के लिये हमें हमेशा अपने करोड़ों अपढ़ मनुष्यों की जरूरतों की ओर ध्यान देना होगा । अिनेगिने चुनिन्दे मनुष्यों के लाभार्थ, उनको आवश्यकताओं का बलिदान नहीं किया जा सकता ।’
—जवाहरलाल नेहरू

‘क्या हम अपने नौजवानों को सचमुच आदमी बना रहे हैं? क्या हम उन्हें कुछ प्रश्नों के उत्तर घोटने के सिवा और कुछ सिखा रहे हैं? यथार्थ में क्या हम उनको विचार—शक्ति, स्वावलम्बन और आत्म-विश्वास के विकास की कुछ भी कोशिश कर रहे हैं?’
—प्रफुल्लचन्द्र राय

‘वर्तमान शिक्षा की अवनति का असली कारण है देश के ग्राम्य-जीवन का सर्वनाश ।’
—अेनी बीसेष्ट

‘याद रखो कि हमारे देशवासी झोंपड़ों में रहते हैं । तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम गाँव-गाँव जाकर उन्हें समझाओ कि अब हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से काम न चलेगा । उन्हें तुम सादे शब्दों में कृषि, वाणिज्य और जीवन की जरूरतें समझाओ ।’
—विवेकानन्द

‘अब तक शिक्षा में जिस पद्धति का दौर दारा रहा है, उसमें सारा जोर किताबी पढ़ाई पर डाला जाता रहा है, और उसके जरिये दूसरोंके अनुभवों, दूसरोंकी कल्पनाओं और दूसरों के तर्कों को रटाने की रीति ही प्रचलित हो गयी है । अिसमें मानव-जीवन और उसकी परिस्थितियों का कोयी ध्यान नहीं रक्खा जाता ।’ —काका कालेलकर



गोपाल कृष्ण गोखले




रवीन्द्रनाथ ठाकुर



सर सैयद अहमद



राजा राममोहन राय



महात्मा गांधी



पंडित मदनमोहन मालवीय

अतीत

भारत आज स्वाधीन है। पर खेद के साथ कहना पड़ता है कि अभी भी ८८ प्रतिशत भारतवासी अनपढ़ हैं। जिसके लिये कौन जिम्मेदार है?—इतिहास ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। हिन्दुस्तान के इतिहास के पन्ने पलटिये तो पता लगेगा कि १८३५ आ० में, बँगाल और बिहार में ६-७ प्रतिशत मनुष्य पढ़े लिखे थे।*

पर १९२१ आ० में भी, भारत में शिक्षित मनुष्यों की जनसंख्या थी केवल ७-३ प्रतिशत। यह हुआ अँग्रेजी सत्ता के समय इस देश में शिक्षा का विस्तार। बहुत ही दुःख के साथ १९३१ की गोलमेज़ परिषद की बैठक में, महात्मा गान्धी ने कहा था, 'आज से सौ साल पहिले, भारत और भी शिक्षित था।' इस बात पर बहुत कुछ बहस हुई; और १९३५ आ० में प्रसिद्ध अँग्रेज़ विद्वान सर फिलिफ़ हार्टग़ ने गान्धीजी के कथन को असत्य प्रमाणित करने की भरसक कोशिश की,† पर उसका मुँहतोड़ जवाब कर्मी भारतीय विद्वानों ने दिया।

अब प्रश्न यह उठता है कि भारत के अन्तिम अकछत्र सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात् देशमें अथलपुथल होने पर भी, भारत से शिक्षा का लोप क्यों न हुआ? यह था हमारे राष्ट्रीय संगठन का फल और प्राचीन ग्राम्यजीवन की पराकाष्ठा। जीवन की ज़रूरतों को मिटाने के लिये, किसी भी गाँव को बाहरवालों का मुँह ताकना नहीं पड़ता था। शिक्षा के प्रचार के लिये, प्रत्येक गाँव में कम से कम एक स्कूल अवश्य रहता था। समाज और गाँव के ज़मींदार इसे चलाने की भरसक

* Adam's Reports.

† Hartog : Some Aspects of Indian Education.

कोशिश करते थे। इस कारण प्राचीन भारत में हरएक गाँव में कम से कम एक स्कूल का रहना कोअी भी अचम्भे की बात नहीं है। अठारहवीं सदी के आखिर तक, यही हाल था। इस कथन का समर्थन, बहुतसे पाश्चात्य विद्वानों ने किया है।

अन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में, इस देश की प्रचलित शिक्षा की जाँच विशेषरूप से की गयी।—मद्रास प्रान्त के विषय में, वहाँ के गवर्नर सर टामस मनरो ने लिखा* ‘प्रदेश की जन संख्या १२, ८५०, ६४१ है। पर पूरे प्रदेश में कुल १२,४६८ स्कूल हैं और छात्रसंख्या १८८, ६५० है। अर्थात् ६७ व्यक्तियों में सिर्फ १ को शिक्षा मिलती है और एक हजार बस्ती के लिये केवल एक स्कूल है।’ चूँकि स्त्रीशिक्षा का नामनिशान न था और बहुतसे बालकों को गृह-शिक्षा मिलती थी, इसलिये मनरो साहब का मत था कि ५ से १० वर्षीय एक—तिहायी बालकों को कुछ न कुछ शिक्षा मिलती थी।

बम्बयी अहाते में भी, इसी प्रकार की तहकीकात हुयी। १६ अक्टूबर १८२६ ई० के एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार उस प्रान्त में ४६, ८१, ७३५ बस्ती के लिये १,७०५ स्कूल थे। छात्रसंख्या सिर्फ ३५, १४३ थी। जनसंख्या के अनुसार, छात्रों की औसत प्रत्येक ज़िले में भिन्नभिन्न प्रकार की थी—‘सूरत ज़िले में ६१ में १, भड़ोच में २२८ में १, और पूरे अहाते की १३३ में १ थीं।’

इस प्रकार भारत के और भी अन्य भागों में प्रचलित शिक्षा की पूँछताछ हुयी। पर सब से अल्लेखयोग्य रिपोर्ट, बँगाल अहाते से निकली।

* १० मार्च, १८२६

† Hartog : Some Aspects, p. 74

‡ Sharp : Selections, p. 73

अिस रिपोर्ट के लेखक थे प्रसिद्ध पादरी विलियम अेडम(१)।१८३५अी० में लार्ड विलियम बेण्टिङ्क ने अुन्हें बँगाल की प्रचलित शिक्षा की जाँच के लिये नियुक्त किया, और तीन साल के भीतर अेडम साहब ने तीन मशहूर रिपोर्टें पेश किये। अुनके मतानुसार सिर्फ बँगाल और बिहार में, प्रायमरी स्कूलों की संख्या १,००,००० थी। औसत में प्रायः प्रत्येक तीन गाँवों में दो स्कूल थे; और जनसंख्या के अनुसार हर ४०० मनुष्यों के लिये अेक स्कूल था, पर स्त्रीशिक्षा का नामनिशान न था। पाँच से चौदह वर्षीय बालकों में, सिर्फ ७ प्रतिशत बालक शिक्षा पाते थे।

अिन रिपोर्टों से स्पष्ट होता है, कि अेक सौ वर्ष पहिले भी हमारे देश की शिक्षा-पद्धति कुछ खराब न थी। शिक्षक का काम करते थे गाँव के गुरुजी। यह काम प्रायः गाँव के पुजारी को सौंपा जाता था। पूजापाठ से निवृत्त हो, गुरुजी गाँव के लड़कोंको पढ़ाते थे। स्कूल लगता था या तो मन्दिर में, या ज़मीनदार की बैठक में, नहीं तो और किसी निर्दिष्ट स्थान में। गुरुजी की मर्जी के अनुसार किसी भी समय स्कूल का कार्यक्रम शुरू होता था। लेकिन स्कूल ज़्यादातर लगता था या तो सुबह, नहीं तो दोपहर के बाद। बरसात के दिनों में प्रायः छुट्टी रहा करती थी। लेकिन आजकल के समान लम्बी तातीलों का नामनिशान न था।

शिक्षकों की संख्या किसी भी स्कूल में अेक से ज़्यादा न रहती थी। पर अँची कक्षाओं के विद्यार्थीगण, स्कूल का कार्य चलाने में गुरुजी को काफी मदद देते थे। निम्न वर्ग के बालकों को प्रायः वे ही पढ़ाते थे। पर जीविका-निर्वाह के लिये, गुरुजी को विशेष कुछ सोचना नहीं

(१) कोष्टक में संख्या द्वारा बताये हुअे प्रसंगों का विशेष विवरण, परिशिष्ट अेक में मिलेगा।

पढ़ता था। पूजापाठ से अुनकी अेक बंधी हुआ आय रहा करती थी। गाँव के विवाह, अुपनयन, श्राद्ध अित्यादि से, अुन्हें यथेष्ट मिलता था। अिसके सिवा, प्रत्येक विद्यार्थी समय समय पर गुरुजी को कुछ न कुछ भेंट अवश्य चढ़ाता था।

यह था हिन्दुओं के लिये बन्दोबस्त। शिक्षा के लिये, मुसलमान भाभीओं ने भी खासा अिन्तजाम कर रखा था। हरअेक मसजिद से लगा हुआ रहता था अेक मक़तब अर्थात् प्राथमिक शाला। यहाँ कुरान का खास अभ्यास होता था, तथा अुर्दू और अरबी सिखाने का विशेष प्रबन्ध रहता था। मसजिद के मौलवी साहब ही शिक्षक का काम करते थे। लेकिन जहाँ मक़तब न थे, वहाँ मुस्लिम लड़के अपने हिन्दू भाभीओं के साथ पढ़ते थे।

पढ़ाई विशेष अँवे दर्जे की न थी। विद्यार्थियों को लिखने, पढ़ने और हिसाब का मामूली ज्ञान मिलता था। पर अुस युग में अेक साधारण मनुष्य के लिये सामान्य पत्र-लेखन और जर्मीदारी ज्ञान यथेष्ट था।—पढ़ाने की पद्धति कुछ खराब न थी। वार्ड साहब लिखते हैं, 'प्रत्येक बालक अक्षर लिखकर सीखता है, और न कि युरोपीय पद्धति के अनुसार अुच्चारण कर। पहिले तो वह ज़मीन पर लिखता है, और फिर लोहे की कलम से या बरू से ताड़पत्र पर। साधारण अक्षर के बाद, वह संयुक्त अक्षर लिखता है। अिसके पश्चात् वह मनुष्य, गाँव और जानवरों के नाम लिखता है। अितना खतम करने के बाद, वह पहाड़े और गिनती सीखता है। तत्पश्चात् वह केले के पत्ते पर लिखता है, और रुपये, आने, पाई तथा मापतौल का जोड़, घटाना, भाग और गुणा सीखता है। बड़े लड़के मामूली चिठी, हिसाब, दस्तावेज़ के कागज़ लिखना सीखते हैं।' *

यह थी प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। उच्च शिक्षा के प्रतिष्ठानों की कुछ कमी न थी। ये 'टोल' (हिन्दुओं के लिये) और 'मदरसा' (मुसलमानों के लिये) के नाम से परिचित थे। अन्तीसवीं शताब्दी के आरम्भ में नदिया, मिथिला, काशी, प्रयाग, मथुरा, अज्जैन, मदुरा, काँजीवरम अित्यादि पुराने शहरों में बड़ेबड़े टोल थे।

टोलों में छात्रों की संख्या १० से २५ तक रहा करती थी। पर पढ़ाई उच्च कोटि की थी। हरअेक टोल किसी भी अेक विषय में पारदर्शिता लाभ करने की चेष्टा करता था। मुख्य विषय पाँच थे: न्याय, स्मृति, काव्य, ज्योतिष और व्याकरण। सम्पूर्ण शिक्षा समाप्त करने के लिये, प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम २० वर्ष लगाना पड़ता था। पर अुन्हें मुफ्त शिक्षा मिलती थी। यहाँ तक कि खाने, पीने और रहने के लिये भी अुन्हें कुछ खर्च नहीं करना पड़ता था। अिसका पूरा बन्दोबस्त गुरुजी ही किया करते थे।

विद्यादान गुरु का धर्म था। प्रत्येक टोल के खर्च के लिये, कुछ न कुछ निष्कर ज़मीन लगी हुई रहती थी। गुरु को सरकार से सामान्य वृत्ति भी मिलती थी। अिसके सिवा, अुस युग में अिस देश में दान का कुछ अभाव न था।

अिन शिक्षकों के पाण्डित्य को देखकर, सूक्ष्म समालोचकों को भी दाँतों तले अँगुली दबानी पड़ती थी। अिन पण्डितों के विषय में अेडम साहब लिखते हैं, 'अुनके संसार की सबसे कठिन भाषा के व्याकरण का ज्ञान देखकर मुग्ध अुअे बिना नहीं रहा जाता। भाषा की रचना के ज्ञान के साथ, वे अुसका पूर्ण अुपयोग करना भी जानते हैं। अिसके सिवा, अुन्हें अपने देश के कायदे, कानून और साहित्य का भी पूरा ज्ञान है और वे सदैव न्याय तथा दर्शन के सूक्ष्म तत्त्वों पर वादानुवाद करने के लिये तैयार रहते हैं'*। सार अर्थ यह है कि हमारे 'टोल'

* Adam's Reports (Calcutta Edition), p. 169.

के शिक्षकगण थे ज्ञान के खजाने। उनका जीवन आढम्बररहित था, और उनके व्यवहार में अभिमान का लेशमात्र न था।

ये थे हमारे टोल। 'मदरसा' ढाका, मुर्शिदाबाद, राजशाही, जौनपूर, दिल्ली, आगरा, लखनऊ, लाहोर, बीजापूर अित्यादि मुख्य शहरों में वर्तमान थे। अिस्लाम के कायदे के अनुसार अँचे दर्जे के व्याकरण, दर्शन, धर्मशास्त्र, विज्ञान, साहित्य अित्यादि के सिखाने का वहाँ विशेष प्रबन्ध रहता था। शिक्षा का माध्यम था फ़ारसी, पर अरबी भाषा का हर अेक विद्यार्थी को अभ्यास करना पड़ता था। मुसलमानों के सिवा हिन्दु विद्यार्थीगण भी वहाँ अरबी और फ़ारसी भाषा अध्ययन करने के लिये जाते थे। राजभाषा फ़ारसी होने के कारण, उस भाषा के सीखने की बहुत माँग थी।

प्रायः सवा सौ वर्ष पहिले भी हमारे देश की यही शिक्षा-प्रणाली थी। यह मानना ही पड़ेगा कि यह प्रणाली बहुत कुछ सङ्कीर्ण हो चली थी, और भारत विज्ञान और गणित शास्त्र में बहुत कुछ पिछड़ गया था। पर अिसके लिये कोअी भी दोषी नहीं है। यदि हमारा देश पिछड़ा हुआ था, तो बहुत से पाश्चात्य देश कुछ हमसे आगे नहीं थे।

अब प्रश्न यह अुठता है कि कहाँ गये वे मक़तब और पाठशाला, वे टोल और मदरसा ? गत सौ वर्ष में, वे प्रायः लुप्त हो गये। अँग्रेज सरकार ने अुन्हें सुधारने का बिलकुल प्रयत्न न किया, और अुनेक प्रतिद्वन्द्वी स्वरूप स्थापित किये आधुनिक प्रायमरी स्कूल, अँग्रेजी स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय। हमारी पुरानी संस्थाओं किस प्रकार अिन नवीन आगन्तुकों का मुकाबला कर सकनी थीं ? अँग्रेजी शिक्षा के विस्तार के साथ साथ, हम लोगों ने भी पुरानी संस्थाओं से अपना सम्बन्ध तोड़ दिया।

अँग्रेजी राज्य ने हमारे सामाजिक और ग्राम्य जीवन को जड़ से हिला

दिया। ज़मींदारों ने गाँव त्याग कर शहरों में बसना शुरू किया। सरकारी नौकरी पाने के लिये, मध्यम श्रेणी के लोगों ने भी गाँव छोड़ना शुरू किया। जिसका परिणाम सबको विदित है। गाँवों में दरिद्रता बढ़ी। शिक्षकों और पण्डितों की सहायता करनेवाला कोई न रहा। लोग पाठशाला और टोल छोड़कर, आधुनिक स्कूल और कालेजों की ओर दौड़े।

अस प्रकार हमारी पुरानी शिक्षा-प्रणाली की समाप्ति हुई। तथापि आज भी उस भव्य अट्टालिका के ध्वंसावशेष यहाँ वहाँ पाये जाते हैं। कुछ अिर्नागिनी पाठशालाएँ पुरानी पद्धति पर चल रही हैं। और कुछ टोलों में संस्कृत भाषा की आवाज़ आज भी गूँज रही है।

दूसरा अध्याय

कम्पनी के शासनकाल में

यहां तक हुआ हमारा अतीत। सोलहवीं और सत्रहवीं सदी में व्यापार के लिये कहीं युरोपीय जातियों ने इस देश में आकर अपनी बस्तियाँ बसायीं। उनके साथ साथ आये आसायीं धर्म का प्रचार करने के लिये बहुतसे कैथलिक और प्राटेस्टण्ट मिशनरी।

युरोपीय जातियों में मुख्य थे पोर्तुगालवासी, डेन और अँग्रेज़। पुर्तगालियों ने पश्चिमी किनारे पर अपना सिक्का जमाया। वे कैथलिक सम्प्रदाय के थे, और उनमें मुख्य थे जेसुयिट मत के लोग। जेसुयिट मिशनरियों ने स्कूल, कालेज, अनाथालय और अेकाध विश्वविद्यालय भी खोले। उन्होंने भारत में सबसे पहिला छापाखाना स्थापित किया और तामील भाषा में कहीं पुस्तकें छापीं। पर पुर्तगालियों के पतन के साथ, उनकी संस्थाओं की भी अवनति हो गयी।

पुर्तुगालियों के बाद, अठारवीं सदी के आरम्भ में डेनमार्क से कड़ी मिशनरी आये। वे आकर मद्रास के पास ट्रंकौबार में बस गये, और अन्होंने अपना काम पूरे मद्रास प्रान्त में फैलाया। अन्होंने बहुत से स्कूल खोले, और शिक्षकों के लिये अेक ट्रेनिंग स्कूल भी स्थापित किया। तामील और तेलगू भाषाओं का अन्होंने अच्छी तरह अभ्यास किया, और बाबीबल का अुन दोनों भाषाओं में अनुवाद किया। अिसके सिवा, अन्होंने अेक तामील व्याकरण और शब्दकोष भी प्रकाशित किया।

पर अिन मिशनरियों का असली ध्येय था स्कूलों के जरिये अीसाअी मत का प्रचार करना। प्लासी के विजय के पहिले, अिस्ट अिण्डिया कम्पनी अिन धर्मप्रचारकों को आर्थिक सहायता देती थी। लेकिन १८ वीं शताब्दी के अन्त में कम्पनीने अुनका विरोध किया।

अपने नौकरों के बच्चोंके लिये कुछ अिनेगिने स्कूल खोलने के सिवा कम्पनी ने शिक्षा के लिये कुछ न किया। न कम्पनी के पास पैसा था, और न अत्रकाश। भारत में अपने पाये को मजबूती से जमाने के लिये अुसे दिनरात युद्ध करना पड़ता था। कम्पनी के डायरेक्टरों का मत था कि शिक्षा के विस्तार के लिये शासक की न कोअी जिम्मेदारी है और न किसी देश के शिक्षा में अुसे कुछ हस्तक्षेप करना चाहिये। अुनका यह विचार कुछ गलत न था, क्योकि अुनके देश की भी यही नीति थी।

पर कम्पनी के कड़ी अफसरोंने स्वयँ दो अेक विद्यालय खोले। पहिला था कलकत्ता मदरसा (१७८१)। अिसे स्थापित किया था भारत के सर्व प्रथम गवर्नर जनरल—वारन हेस्टिंगज ने। हेस्टिंगज स्वयँ बँगाली और फारसी भाषा का पण्डित था। पर अिस मदरसे को खोलने का अुसका असली मतलब था कम्पनी की नौकरी के लिये मुसलमान नवयुवकों को अुचित शिक्षा देना। कम्पनी के राज्य का विस्तार हो रहा था, पर अँग्रेज अफसर अिस देश के कानून कायदों से बिलकुल

अपारीचित थे। उनकी सहायता के लिये भारतीय नायबों की विशेष ज़रूरत थी। यह सोचकर, हेस्टिंग्स ने इस विद्यालय को स्थापित किया। प्रथम दो वर्ष, उसने स्वयं इसका पूरा खर्च चलाया। इसके बाद, कम्पनी ने उसका भार ग्रहण किया।

इसके ठीक दस वर्ष बाद, ठीक ऐसा ही एक प्रतिष्ठान हिन्दुओं के लिये खोला गया। यह था बनारस संस्कृत कालेज। इसके प्रतिष्ठाता थे तत्कालीन बनारस के रेसीडेण्ट—जनाथन डन्कन साहब।

इस प्रकार कम्पनी ने स्वयं शिक्षा के लिये कुछ न किया। पर अंग्लैण्ड में ब्रिटिश पार्लामेंट के कभी सदस्य चेष्टा कर रहे थे कि कम्पनी भारत में शिक्षा विस्तार के लिये कुछ न कुछ करे। इस आन्दोलन के मुखिया थे चार्ल्स ग्राण्ट साहब(२)। उनके सिवा कभी मिशनरी सोसाईटियाँ कोशिश कर रही थीं कि भारत में अँग्रेजी मिशनरी और शिक्षकों को बेरोकटोक घुसने का अधिकार मिले। १७६३ आ० में जब कि अंग्लैण्ड में कम्पनी के चार्टर बदलने का प्रश्न आठा, तब उन्होंने इसके लिये भरसक कोशिश की। पर वे कामयाब न हुअे क्योंकि पार्लामेंट के एक मेम्बर ने कहा, 'शिक्षाके विस्तार के कारण, हमने अमेरिका खोया। ऐसा न हो कि भविष्य में उसी कारण हम भारत से भी हाथ धो बैठें।'।

पर ग्राण्ट और मिशनरीगण क्यों चुप रहनेवाले थे? उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी। १८१३ आ० में फिर से कम्पनी के चार्टर दुहराने का समय आया। उस वरुत ग्राण्ट और उसके सथियों ने काफ़ी ज़ोर मारा, और उन्हें यथेष्ट सफलता भी मिली। इस चार्टर के ४३ वें खंड की यह शर्त थी: भारत में फौजी और राजकीय खर्च के बाद, कम्पनी प्रतिवर्ष एक लाख रुपया साहित्य का पुनरुद्धार करने के लिये, भारतीय विद्वानों को अनुत्साह देनेके लिये, और भारतवासियों में ज्ञान तथा विज्ञानका

प्रचार और अनुन्नति के लिये व्यय करे। भारत में आनेजाने के लिये, बरतानिया के मिशनरियों को सम्पूर्ण अधिकार मिला।

पाठक कह सकते हैं कि भारत सरीखे महान देशके लिये शिक्षा-स्वर्च के लिये यह छोटी सी रकम अँटू के मुंह में जीरा के समान है। यह अवश्य ठीक है। पर इस रकम का महत्त्व, रुपयों की तादाद में नहीं वरन और कहीं है। १८१३ के चार्टर ने ब्रिटिश पार्लामेण्ट को यह मानने के लिये मजबूर किया कि शिक्षा का सरकारी राजस्व पर हक्क है। अभी तक कम्पनी यह स्वीकार करने के लिये राजी न थी। पर कम्पनी को अब हार माननी पड़ी।

अतने पर भी कम्पनी ने १८२३ आ० तक कुछ न किया। कम्पनी को हाथ में कलम लेने की फुरसत कहाँ थी? उसे तो तलवार लेकर अपना काम निकालना पड़ता था। १८१३ से १८२३ तक, कम्पनी को गुरखों, पिण्डारियों और मराठों का सामना करना पड़ा। अन्त में १८२३ आ० म कलकत्ता में एक शिक्षा समिति स्थापित हुई, जिसका नाम था 'General Committee of Public Instruction' अर्थात् प्रधान शिक्षा समिति।

पर यह न सोचना चाहिये कि यदि कम्पनी चुप थी, तो लोग भी हाथ पर हाथ रखकर चुप्पी साधे बैठे हुअे थे। शिक्षा प्रचार के लिये जनता ने बहुत कुछ किया। उनमें मुख्य थे : (अ) शिक्षित समाज, और (ब) मिशनरी सोसायीटियाँ।

शिक्षित समाज का प्रधान अड्डा था कलकत्ता। वहाँ के लोग, अँग्रेजी शिक्षा पाने के लिये बहुत अतसुक थे। १८१७ आ० में, कलकत्ता में हिन्दू महाविद्यालय (वर्तमान प्रेसीडेन्सी कालेज) नामक एक संस्था खोली गयी। अँग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विद्या सिखाने के लिये, यह भारत में सर्व प्रथम विद्यालय है। इस प्रतिष्ठान को स्थापित करने के लिये

प्रसिद्ध नेता राजा राममोहन राय (३) और डेविड हेयर (२) नामक अेक घड़ीसाज ने विशेष चेष्टा की। अिस महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने बँगाल के कोने कोने में अँग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया। अिसके सिवा, अिस संस्था ने कृष्णमोहन बनरजी, माअीकेल मधुसूदन दत्त, काशीप्रसाद घोष, भूदेव मुकर्जी सरीखे अनेक विद्वानों को जन्म दिया।

कलकत्ते में दो गैरसरकारी शिक्षासमिति स्थापित हुईं। प्रथम, कलकत्ता स्कूल बुक सोसाअीटी (१८१७)—अिसका ध्येय था स्कूल की पाठ्यपुस्तक तैयार कर नाममात्र दाम पर बेचना। द्वितीय, कलकत्ता स्कूल सोसाअीटी (१८१६)—अिसका अुद्देश्य था स्कूल खोलना। अिन दोनों समितियों ने अच्छा काम किया।

बम्बअी में नेटिव स्कूल सोसाअीटी (१८२२) नामक अेक संस्था थी। अिस सोसाअीटी ने १८२३ अी० में बम्बअी के गवर्नर श्री अेलफिन्स्टन(५) के पास आर्थिक सहायता के लिये प्रार्थना की। अुस मौके पर अुन्होंने अेके खरीता लिखा* जो कि अेलफिन्स्टन के लेखपत्र के नाम से प्रसिद्ध है। शिक्षाकी अुन्नति के लिये, अुन्होंने अुस खरीते में कुछ अुपाय बतलाये।

अेलफिन्स्टन स्वयँ जनशिक्षा के विशेष पक्षपाती थे अिसलिये अुन्होंने भारत की पुरानी पाठशालाओं का पुनरुद्धार करना जरूरी समझा। पर अुन्होंने बताया कि अुनकी अुन्नति तभी हो सकती है जब कि वे नये ट्रेण्ड शिक्षक नियुक्त करें और अुचित पाठ्यपुस्तक व्यवहार करें। पुरानी संस्थाओं के पुनरुद्धार के साथसाथ अुन्होंने अँग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विज्ञान का ज्ञान भारतवासियों के लिये हितकर समझा। अिसी कारण, कुछ अँग्रेजी स्कूल खोलने के लिये अुन्होंने जोर दिया।

शिक्षा के शासन सम्बन्ध में अन्होंने कहा कि सरकार अपने अपूर शिक्षा का सम्पूर्ण भार नहीं ले सकती है। सरकार का काम है तत्त्वावधान करना और आवश्यकतानुसार स्कूल खोलना। जिसके सिवा सरकार को चाहिये कि वह नेटिव स्कूल सोसायीटी सरीखी संस्था को अुचित आर्थिक सहायता दे। ताकि वे अुचित पाठ्यपुस्तक प्रकाशित कर और अपयुक्त शिक्षक तैयार कर, सरकार को मदद पहुँचावें।

१८२३ आ० से १८२७ आ० तक, अेलफिन्स्टन स्वयँ इस सोसायीटी के सभापति रहे। अुनके तत्त्वावधान में इस प्रतिष्ठान ने अच्छा काम किया : प्रदेश की चार भाषाओं (मराठी, गुजराती, कनाड़ी और हिन्दुस्तानी) के लिये छः निरीक्षक नियुक्त हुअे; शिक्षकों के ट्रेनिंग का अपयुक्त प्रबन्ध किया; शालाओं के लिये पाठ्यपुस्तकें तैयार कीं; अच्च शिक्षा के विस्तार के लिये प्रायः अेक सौ वर्नाकुलर स्कूल स्थापित किये; चार अँग्रेजी शालाओं (पूना, थाना, बम्बयी और पनवेल में) खोली गयीं; बम्बयी में अेक अिन्जिनियरींग क्लास (१८२३) और अेक मेडीकल क्लास (१८२६) भी चलायी गयी। अेलफिन्स्टन के चले जाने के बाद, बम्बयी शहर की जनता ने अेक खासी रकम अिकठा कर अुनका यादगार में अेक कालेज की नींव ढाली (१८२७)। यह है वर्तमान अेलफिन्स्टन कालेज।

मद्रास में कुछ विशेष अुल्लेखयोग्य कार्य नहीं हुआ। वहां मद्रास स्कूल सोसायीटी नामक अेक संस्था थी। सरकार अुसे कुछ सामान्य आर्थिक सहायता देती थी।—बनारस में, जयनारायण घोषाल नामक अेक सज्जन ने अेक अँग्रेजी विद्यालय स्थापित करने के लिये बीस सहस्र रुपया दान किया।—आगरे में, गंगाधर शास्त्री नामक अेक साधुपुरुष डेढ़ लाख की जायदाद छोड़ परलोक को सिधारे। इस जायदाद की आय से, वर्तमान आगरा कालेज की स्थापना हुयी (१८२४)।

ये तो हुआ शिक्षित समाज की चेष्टाएँ। अब देखना चाहिये कि मिशनरियों ने क्या किया ? पहिले ही बतलाया जा चुका है कि उनका प्रधान अद्देश्य था शिक्षा के जरिये आसामी मतको फैलाना। तिस पर भी, उन्होंने शिक्षा के लिये बहुत कुछ किया, और इस देश की शिक्षा-पद्धति में अेक नवीनता ला दी। प्रथमतः, उन्होंने प्राथमिक शिक्षा और विशेषकर मातृभाषा की पढ़ाई की ओर जोर दिया। द्वितीयतः, उन्होंने स्कूल पाठ्यक्रम में भूगोल, अितिहास, सृष्टि-विज्ञान सरीखे आधुनिक विषयों का समावेश किया। तृतीयतः, स्कूल नियमित समय पर लगने लगीं और प्रत्येक रविवार को छुट्टी मिलने लगी। अन्त में, उन्होंने स्कूलों को भिन्न भिन्न वर्गों में यथारीति बाँट दिया, और प्रत्येक स्कूल में अेक से ज़्यादा शिक्षक नियुक्त किया।

असके सिवा, भारत में सबसे पहिले उन्होंने छपी हुई पाठ्य-पुस्तकों का प्रचार किया। अस प्रकार गत शताब्दी के शुरू शुरू ही में, उन्होंने हमारी पुरानी शिक्षा-प्रणाली में बहुत कुछ हेर फेर किया।

मिशनरियों ने अपना काम, सारे देशमें जारी रखा। बँगाल में उनका प्रधान अड्डा था श्रीरामपुर नामक अेक गाँव जो कि कलकत्ता से १३ मील उत्तर की ओर स्थित है। यहाँ बेपट्रिस्ट मिशन के तीन प्रसिद्ध मिशनरी (कारे, वार्ड और मार्शमेन) अपना काम कर रहे थे। अितिहास में, वे श्रीरामपुर त्रिभूर्ते के नामसे प्रसिद्ध हैं। श्रीरामपुर के आसपास उन्होंने सौ से ज़्यादा स्कूल खोले, और १८१८ आी० में समाचार वर्णन नामक बँगभाषा में सबसे पहिला अस्वबार प्रकाशित किया। कारे अेक प्रसिद्ध भाषाविज्ञ था। हिन्दी खड़ी बोली और आधुनिक बँगाली गद्य का वह जन्मदाता कहा जा सकता है। उसने बहुतसी पुस्तकें लिखीं, जो बेपट्रिस्ट प्रेस से प्रकाशित हुईं। १८१८ आी० में सबसे पहिला मिशनरी कालेज खुला। यही है प्रसिद्ध श्रीरामपुर कालेज।

बेप्टिस्ट मिशन के सिवा, दूसरी मिशन सोसायटीयाँ भी कलकत्ते के आसपास अपना काम कर रहीं थीं। १८२० आी० में, दूसरा मिशन कालेज खोला गया। अर्थात् कलकत्ता विशेष कालेज। पर अभी तक मिशनरियों ने अुच्च शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन १८३० आी० में, डफ साहब नामक अेक विख्यात पादरी स्काटिश चर्च के प्रधान होकर कलकत्ता आये। अुन्होंने आकर मिशन शिक्षा-नीति में अेकदम परिवर्तन किया।

अुन्होंने आकर देखा कि मिशनरी पाठशालाओं की छात्रसंख्या ज़्यादा नहीं है। और जो अिनेगिने विद्यार्थी हैं वे अनाथ या नीच जाति के लड़के हैं। अुनका दृढ़ विश्वास था कि यदि आीसाआी धर्म का प्रचार पाश्चात्य ज्ञान के साथ अुच्च समाज में किया जाय, तो थोड़े ही दिनों में बहुत से अूँची जाति के भारतवासी आीसाआी हो जावेंगे और ये लोग अपने नये धर्म का प्रचार नीच जातियों में करने लगेंगे। यह सोचकर कलकत्ता पहुँचते ही अुन्होंने अेक अुच्च विद्यालय (वर्तमान कलकत्ता स्काटिश चर्च कालेज) स्थापित किया। अिस प्रतिष्ठान में पाश्चात्य विद्या की शिक्षा अँग्रेजी भाषा द्वारा दी जाने लगी, पर बाआीबल क्लास में हरअेक विद्यार्थी को हाज़िर रहना पड़ता था। जनता ने अिसका तीव्र प्रतिवाद किया और चिल्लाये, 'हिन्दूधर्म खतरे में है।' पर डफ साहब टस से मस न हुअे और थोड़े ही दिनों में अुनके कालेज की छात्रसंख्या हजार से ज़्यादा पहुँच गयी। लेकिन डफ साहब का स्वप्न सत्य न निकला। अिनेगिने विद्यार्थियों को छोड़, कोआी भी आीसाआी न हुआ। पर अिस कालेज के खुलने से मिशन शिक्षानीति अेकदम बदल गयी। प्रायमरी शालाओं के बदले, अँग्रेजी स्कूल और कालेज धड़ाधड़ खुलने लगे।

बम्बयी अहाते में, मराठी मिशन और चर्च मिशन ने कआी स्कूल स्थापित किये। बम्बयी शहर में, स्कॉटिश चर्च ने डफ साहब की

नीति के अनुसार अेक अुच्च विद्यालय (वर्तमान विलसन कालेज) की नींव डाली । मद्रास अहाता, मिशनरियों का प्रधान अड्डा था । वहाँ अुन्होंने बहुतसे स्कूल खोले । १८३७ अी० में, स्काटिश चर्च ने कलकत्ता और बम्बअी की नाअी मद्रास में अेक कालेज (मद्रास क्रिश्चयन कालेज) स्थापित किया ।

१८२३ अी० में कम्पनी को लड्डाअी से फुरसत मिली और अुसी साल शिन्दा कें लिये अेक कमिटी (प्रधान शिन्दा समिति) कलकत्ते में मुकरर की गअी । अिस समिति को अिस देश के लायक शिन्दा-प्रणाली बनाने का काम सौंपा गया और खर्च के लिये १८१३ के चार्टर के अनुसार अेक लाख रुपया हर साल दिया जाने लगा ।

प्रधान समिति के दस सदस्य थे । शुरू में, ये सब के सब अँग्रेज थे और प्राच्यविद्यानुरागी थे । अिस कारण, पहिले पहल अिस समिति ने प्राच्यविद्या फैलाने की कोशिश की । कलकत्ता, आगरा, पूना और दिल्ली में प्राच्य महाविद्यालय खुले । अरबी और संस्कृत की कअी पुस्तकें छापी गअी और कुछ अँग्रेजी पुस्तकों का अिन भाषाओं में अनुवाद निकला । अिसके सिवा, समिति ने कअी प्राच्य विद्वानों और शिन्दाओं को आर्थिक सहायता दी ।

कअी भारतवासियों ने अिस नीति का घोर विरोध किया । अुनमें मुख्य थे राजा राममोहन राय । जब कलकत्ता संस्कृत कालेज स्थापित होनेवाला था, तब अुन्होंने तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड अमहर्स्ट को अेक चिठी लिखी । अुसमें अुन्होंने लिखा, 'कम्पनी को चाहिये कि वह अँग्रेजी शिन्दा फैलावे और प्राच्यविद्या का प्रचार भारतवासियों पर छोड़ दे* ।' पर अिस प्रतिवाद का कुछ असर न हुआ ।

* Refer Address from Raja Rammohan Roy
(Sharp : Selections, pp 98—100).

लेकिन धीरे धीरे पाँसा पलट गया। शिक्षा-समिति के कुछ सदस्य बदल गये। १८३१ आ० में, आधे मेम्बर प्राच्य विद्यानुरागी थे और आधे पाश्चात्य विद्यानुरागी। दोनों दलों में झगड़ा शुरू हुआ। मतभेद अितना बढ़ा कि कुछ भी कामकाज कठिन हो पड़ा। दोनों दलों ने स्वीकार किया कि अर्थाभाव के कारण जन-शिक्षा की ओर ध्यान देना असंभव है। इसलिये दोनों दल सहमत हुअे कि इस थोड़ी सी रकम से पहिले अुच्च शिक्षा का प्रचार अुन्नत समाज में किया जाय। अुन्होंने सोचा कि ये लोग धीरे धीरे अपनी मातृभाषा में अुपयोगी किताबें लिखेंगे और शिक्षा का प्रचार जनता में करेंगे। पर झगड़ा यह अुठा कि यह अुच्च शिक्षा किस देश की हो, भारत की या युरोप की? प्रथम दल (प्राच्यविद्यानुरागी) का मत था कि यह विद्या इस देश की हो। पर दूसरे दल ने इसका विरोध किया। अुनका मत था प्राच्य विद्या सड़ गयी है। इसलिये इस देशमें पाश्चात्य विद्या का प्रचार अँग्रेजी भाषा द्वारा किया जाय।

१८२७ आ० से, कम्पनी की भाषानीति में परिवर्तन हुआ। उस वर्ष, कम्पनी के कोर्ट आफ डायरेक्टर्स ने भारत में अँग्रेजी भाषा का प्रचार करने के लिये चिठी लिखना शुरू किया। १८२८ आ० में, लार्ड विलियम बेण्टिक गवर्नर-जनरल होकर आये और अुन्होंने प्रधान शिक्षा-समिति को लिखा, 'मेरा विचार अँग्रेजी को धीरे धीरे इस देश की राजभाषा बनाना है।'

१८३३ आ० में कम्पनी के चार्टर का परिवर्तन हुआ। इसके अनुसार भारत में आने का सब राष्ट्रों को अधिकार मिल गया। शिक्षा की रकम भी अेक लाख से दस लाख कर दी गयी। कम्पनी के अूचे पदों पर अभीतक भारतवासी नियुक्त नहीं होते थे, पर यह बाधा भी हटा दी गयी।

अिन सब कारणों से, लोगों में अँग्रेजी सीखने की अिच्छा प्रबल हो अुठी। अिधर, प्रधान शिक्षा समिति के दोनों दलों में झगड़ा बढ़ता ही

गया। १८१३ के चार्टर की ४३ वीं धारा के कुछ शब्दों के मतलब पर दोनों पक्षों में विशेष मतभेद था। 'प्राच्य' दल का कहना था कि 'साहित्य' शब्द से हमें समझना चाहिये केवल अरबी और संस्कृत साहित्य। पर दूसरे दलका कहना था कि 'साहित्य' का अितना सकरा अर्थ नहीं हो सकता और उसमें अँग्रेजी साहित्य की भी गणना होनी चाहिये। दोनों दल अपने विचारों से टस से मस नहीं होते थे। इस प्रकार १८३४ तक झगड़ा बढ़ता ही गया।

उसी साल प्रसिद्ध अँग्रेजी विद्वान, लार्ड मेकाले, गवर्नर जनरल की प्रबन्ध-कारिणी सभा के कानून सचिव होकर आये। बेण्टिङ्कने उन्हें प्रधान शिक्षासमिति का सभापति भी नियुक्त किया। दोनों दलों के मत उनके सामने पेश किये गये, और बेण्टिङ्क ने मेकालेको अनुपर अपनी राय देनेको कहा। अेक प्रसिद्ध खरीते× द्वारा, मेकाले ने अपना विचार प्रगट किया। अितिहास में यह दस्तावेज मेकाले के लेखपत्र (Macaulay's Minute) के नाम से मशहूर है।

अिस लेखपत्र में मेकालेने मत दिया कि सरकार बिना रोकटोक जिस प्रकार चाहे वैसेही शिक्षा की रकम खर्च कर सकती है। पर हमें अिस पैसे का सबसे अच्छा उपयोग करना चाहिये। अब प्रश्न अुठता है कि यह कैसे हो सकता है? अिस छोटी सी रकम से जन-शिक्षा असम्भव है, अिसलिये हमें कुछ अिनेगिने मनुष्यों में अुच्च ज्ञान का प्रचार करना पड़ेगा। पर यह भारत की प्रचलित भाषाओं द्वारा नहीं हो सकता। वे अितनी निकम्मी हैं कि अुच्च ज्ञान का अभ्यास अुनके द्वारा असम्भव है। अिसलिये अिन भाषाओं का संस्कार करना आवश्यक है। अिसे करना पड़ेगा यातो संस्कृत और अरबी भाषा के जरिये, नहीं तो अँग्रेजी भाषा के द्वारा। पर संस्कृत और अरबी भाषा में कुछ भी दम नहीं है। दोनों भाषाओं

का संपूर्ण साहित्य भण्डार, चुनी हुई युरोपीय किताबों की एक अलमारी से भी मुकाबला नहीं कर सकती। उनका विज्ञान, जो कि राहु केतु के किस्से के समान हास्यप्रद कहानियों से भरा पड़ा है, हास्यजनक है। उनका इतिहास चालीस फुट ऊँचाई के राजाओं के चरित्र की कथागाथा है। स्पष्ट यह है कि अरबी और संस्कृत भाषाओं में कुछ भी सार नहीं है। हमें इस देश की भाषाओं की अनुमति अंग्रेजी भाषा द्वारा करनी पड़ेगी। यह भाषा सारे संसार में प्रचलित है, इस के ज्ञान का खजाना असीम है, और भारतवासी इसे सीखनेके लिये विशेष उत्सुक हैं।

इस प्रकार लार्ड मेकाले ने पाश्चात्य मतावलम्बियों के मतों का समर्थन कर इस प्रसिद्ध लेखपत्रको लार्ड विलियम बेण्टिन्क के सामने पेश किया। गवर्नर जनरल तो ताक लगाकर ही बैठे थे। वे इस देशमें अंग्रेजी भाषाका प्रचार चाहते थे। क्योंकि राजकार्यके लिये, उन्हें सामान्य वेतन भोगी अंग्रेजी पढ़े लिखे नौकरों की ज़रूरत थी। भला, भारतवासी को छोड़ कौन इन पदों के लिये राजी हो सकता था? बस। मेकालेके लेखपत्र मिलते ही, उन्होंने ने झट उस पर लिख दिया, 'मैं सम्पूर्णरूप से सहमत हूँ।'

७ मार्च, १८३५ ई० में, एक सरकारी सूचना निकली जिसका सार अर्थ यह था: (१) पूर्वीय शिक्षा प्रतिष्ठानों के छात्रों को भविष्य में वृत्ति न दी जावे; और (२) भारतमें, पाश्चात्य विद्या का प्रचार अंग्रेजी भाषा द्वारा किया जावे। प्रधान शिक्षा समिति को हुक्म दिया गया कि भविष्य में शिक्षा की सारी रकम पाश्चात्य कला और विज्ञान के प्रचार के लिये खर्च की जावे।

आज मेकाले साहिब के लेखपत्र की नुकताचीनी करने से कुछ भी विशेष लाभ नहीं है। मेकालेने तो इस देशमें पाँव रखते ही बिना पूर्ण रीति से सोचे समझे अपना मत इस कठिन समस्या पर प्रगट किया। उस

समय भी, हमारी भाषाओं कुछ ऐसी कमजोर नहीं हो गयी थीं कि उनसे काम नहीं लिया जा सकता था। क्या रामदास और सन्त तुकारामने सारे महाराष्ट्र को अपनी मधुर गीतधाराओं से मुग्ध नहीं कर दिया था ? क्या सूर और तुलसी की भाषा अकदम कमजोर हो गयी थी ? क्या नरसिंहभगत ने अपने भक्तिगाथा से सारे गुजरात को भर नहीं दिया था ? पर मेकाले साहब में अितना धैर्य कहाँ था कि अिन सवालों पर विचार करते ! यदि वे कलकत्ते के बाहर नज़र फेंकते तो देखते कि उस समय भी बम्बयी प्रान्तमें कालेज की तालीम मातृभाषा द्वारा दि जा रही थी।

पर १९ वीं शताब्दी ऐसा युग था जिसके लिये हम मेकाले साहब को किसी भी बातके लिये दोषी नहीं ठहरा सकते। अठारहवीं शताब्दी की व्यवसायिक क्रांति और साम्राज्य वृद्धिने, प्रत्येक अँग्रेजका सिर फेर दिया था। वह यही सोचता था कि न अँग्रेजी भाषाके समान कोअी भाषा है, और न किसी राष्ट्र की अुन्नति अिस भाषा के विना हो सकती है। मेकाले अिस युगका केवलमात्र अेक चिनगारी था। पर हमें मानना पड़ेगा कि उस समय ज्ञान का विकास संस्कृत और अरबी भाषा के द्वारा बिलकुल असम्भव था।

मेकाले के लेखपत्र और बेण्टिङ्क की सूचना के पश्चात, और भी कअी मार्के की घटनाओं हुआँ जिस कारण जनता में अँग्रेजी भाषा सीखने की अिच्छा प्रबलतर होती गयी। वे थीं : (अ) प्रेस की स्वतन्त्रता, १८३५; (ब) १८३६ से १८४७ तक, भारतवासियों को अुच्च पदों पर नियुक्त करना; (स) १८३७ अी० में फारसी के बदले अँग्रेजीको राजभाषा बनाना; और (ड) लार्ड हाडिँगज का १८४४ अी० का जाहिरात-जिसके कारण अँग्रेजी भाषा जाने बिना अूँची सरकारी नौकरी पाना कठिन हो गया।

प्रेस की सब रुकावटें दूर होने के कारण, अँग्रेजी किताबें सस्ती मिलने लगीं। जिससे अँग्रेजी भाषा का प्रचार लोगों में और भी फैला। अिसके

सिवा, जनता ने देखा कि अँग्रेजी सीखे बिना बड़ी नौकरी मिलना कठिन है। इसलिये अन्होंने फ़ारसी पढ़ना छोड़कर अँग्रेजी सीखना शुरू किया। पर फ़ारसी को राजभाषा की जगह से पदच्युत करने के कारण, मुसलमानों में असन्तोष फैला। अन्होंने इसे अपनी जाति की बेअिज़्जती समझा, और पाश्चात्य शिक्षा का बहुत दिनतक स्वीकार नहीं किया।

पर अँग्रेजी शिक्षा फैलती ही गयी। प्रायः सब बड़े बड़े शहरों में अँग्रेजी स्कूल और कालेज खुल गये। डाक्टरों और इंजिनियरिंग सीखने के लिये, कहीं स्कूल और कालेज स्थापित हुये। शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिये, कहीं नार्मल स्कूल खोले गये।

मिशनरियों ने भी इस कार्य के लिये अच्छा हाथ बँटाया। १८३३ आ० के चार्टर के अनुसार, भारतमें आनेजाने का अधिकार सारे संसार के मिशनरियों को मिल गया। इस कारण, इस देश में बहुतसी मिशनरी सोसाइटीयों ने अपना काम शुरू किया। उनमें मुख्य थे अमरिका और जर्मनी के सम्प्रदाय। अन्होंने कहीं कालेज स्थापित किये: मद्रास क्रिश्चियन कालेज (१८३७); नोबल कालेज, मल्ललीपट्टम (१८४१); हिसलैप कालेज, नागपूर (१८४४); सेण्ट जान्स कालेज, आगरा (१८५२)। इसके सिवा, अन्होंने बहुतसे अँग्रेजी स्कूल खोले।

लेकिन उस समय भी, अँग्रेजी शिक्षाका विरोध कहीं विद्वानों ने किया। उनमें मुख्य थे अेडम और हजीसन^(१०) साहब। १८३५ आ० में, अेडम साहबने प्रायमरी शिक्षा की अुन्नति के लिये प्रधान शिक्षा समिति के सामने अेक स्कीम पेश की। इसका मुख्य अुद्देश्य था: (अ) भारतकी पुरानी शिक्षा पद्धति का पुनरुद्धार करना, (ब) प्रायमरी शिक्षा और मातृभाषा की अुन्नति करना, और (स) अुपयुक्त पाठ्य-पुस्तक तैयार करना। इसके सिवा, अेडम साहब ने जोर दिया कि प्रत्येक शिक्षक को जीविका निर्वाह के लिये थोड़ी सी ज़मीन दी जावे। लेकिन इस स्कीम को समिति ने नामंजूर किया।

पर कुछ वर्ष बाद, वही स्कीम संयुक्त प्रदेश में चलायी गयी। उस प्रान्त के कभी जिलों के केन्द्रीय ग्रामों में हल्काबन्दी X स्कूल खोले गये। ये केन्द्रीय गाँव ऐसे चुने गये कि उनकी दूरी किसी भी आसपास के गाँवसे दो मील से अधिक नहीं होती थी। शिक्षकों की गुज़र के लिये, ज़मींदारों ने गाँव के लगान की अेक प्रतिशत रकम बाँध दी थी। स्कीम को चलाने का श्रेय वहाँ के लेफ्टनेण्ट-गवर्नर श्रीयुत टमसन को मिलना चाहिये। उन्होंने ने युक्त प्रदेश में अेक दूसरी स्कीम भी चलायी जो कि तहसीली प्रथा के नाम से मशहूर है। इस स्कीम के अनुसार, कुछ जिलों के तहसील—केन्द्रों में आदर्श प्राथमरी पाठशालाओं स्थापित की गयीं। इन स्कूलों में ३ कोटि की शिक्षा दी जाती थी टमसन साहब का असली ध्येय यह था कि ये स्कूल आसपास की छोटीमोटी पाठशालाओं के आदर्श बने रहें।

अेडम साहब ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर भी विशेष ज़ोर दिया। पर वे कुतकार्य नहीं हुअे। शिक्षा के माध्यम के विषय पर सबसे ज़ोरदार बहस बम्बयीमें हुयी। वहाँ, उस समय भी कालेजों में मातृभाषा द्वारा शिक्षा दी जाती थी। पर १८४३ ई० में सर अेरस्किन पेरी नामक अेक कर्मचारी स्थानिक शिक्षासमिति के प्रधान नियुक्त हुअे। वे मेकाले साहब के पक्के चेला थे और उन्होंने चाहा कि बम्बयी में भी अँग्रेजी भाषा द्वारा शिक्षा दी जावे। पर समिति के छ सदस्यों में से केवल दो ने उनका साथ दिया और बाकी चार ने विरोध किया। बहुत कुछ वादानुवाद के पश्चात्, यह सवाल प्रान्तीय सरकार के सामने पेश किया गया और उन्होंने अेरस्किन साहब के मत का विरोध किया। पर जब यह प्रश्न कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार से पूछा गया तो वहाँ से जबाब आया, अँग्रेजी शिक्षा का प्रचार करो। इसका असर यह हुआ कि बम्बयी प्रान्तमें भी कालेजों

में अंग्रेजी भाषा की तूती बोलने लगी पर माध्यमिक शालाओं में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही रही ।

साधारण शिक्षा के सिवा, कम्पनी ने अद्योग और धन्धे सिखाने का कुछ भी बन्दोबस्त न किया । पर अपनी आत्मरक्षा के लिये, उसे अिनेगिने मेडिकल और अिन्जिनियरिंग कालेज खोलने पड़े, क्यों कि लडााी में डाक्टरों और अिन्जिनियरों की ज़रूरत पड़ती थी । सबसे पहला मेडिकल कालेज कलकत्ता में स्थापित हुआ (१८३५) । अिसके बाद दो और मेडिकल कालेज खुले—ग्राण्ट मेडिकल कालेज, बम्बयी (१८४५), और मद्रास मेडिकल कालेज, (१८४३) ।

सबसे पहला अिन्जिनियरिंग कालेज रुड़की में खुला (१८४७) । प्रथम सिक्ख युद्ध के पश्चात्, गंगा की नहर बनाने के लिये शिक्षित अिन्जिनियरों की ज़रूरत पड़ी । अिस लिये यह कालेज खोला गया । यही प्रतिष्ठान विख्यात रुड़की अिन्जिनियरिंग कालेज है ।

स्त्री शिक्षा की ओर भी कम्पनी अुदासीन थी । कारण अुस समय, स्त्री-क्लाकों का युग नहीं आया था । अिसके सिवा, जनता भी स्त्रीशिक्षा का विरोध करती थी । मिशनरीयोंने अिनेगिने यों दो चार स्कूल लड़कियों के लिये खोले और जनाना शिक्षाका थोड़ा बहुत अिन्तज़ाम किया । सबसे पहिला मशहूर स्त्रीविद्यालय कलकत्ते में खुला (१८४६); यह है बेभुन कालेज । अिस विद्यालय की स्थापना के लिये बेभुन (११) साहब ने १०,००० पौण्ड दान दिया । यह अुनकी सारी जिन्दगी की कमायी थी । भारत अुनका सदा ऋणी रहेगा । अिस प्रतिष्ठान की स्थापना के बाद, भारत के भिन्न भिन्न भागों में स्त्री-विद्यालय खुलने लगे और स्त्री-शिक्षा का प्रचार शुरू हुआ ।

धीरे धीरे १८५३ अी० आ पहुँची, जब कि कम्पनी का चार्टर बदला जानेवाला था । अिस समय तक, प्रायः सम्पूर्ण भारत कम्पनी के मातहत में आ गया था पर शिक्षा का विस्तार अैसा कुछ अुल्लेख योग्य नहीं हुआ था । सरकारी कालेजों की संख्या सिर्फ १४ थी; और सारे

सरकारी शिक्षा प्रतिष्ठानों की छात्रसँख्या ४० हजार से भी कम थी; और शिक्षा का खर्च सरकारी राजस्व का १ प्रतिशत भी न था। स्कूल और कालेजों की देख देखभाल के लिये कुछ भी प्रबन्ध न था; गैरसरकारी शिक्षा प्रतिष्ठानों को सरकारसे प्रायः कुछ भी मदद नहीं मिलती थी, और सम्पूर्ण देश में अेक भी विश्वविद्यालय न था। सार अर्थ यह है कि १८५३ आी० तक अिस देश में कुछ स्कूल और कालेज ज़रूर थे, पर अुन्हें ठीक तरह से चलाने का कुछ भी बन्दोबस्त न था।

तीसरा अध्याय

अुनीसवीं शताब्दी का अुत्तरार्द्ध (१८५४-१८९८)

१८५६ आी० में आीस्ट आिण्डिया कम्पनी के चार्टर के बदलने का समय आया। अुस समय भारत में शिक्षा विस्तार के विषय में तहकीकात करने के लिये ब्रिटिश पार्लामेण्ट ने अेक कमेटी मुकर्रर की। अिस कमेटी ने भारतीय विद्या से अभिज्ञ बहुतसे विद्वानों को अपना अिजहार देने के लिये निमन्त्रण दिया। अुनके अिजहार के बाद कम्पनी के बोर्ड आफ कन्ट्रोल के प्रधान सर चार्ल्स वुड ने भारतीय शिक्षा के विषय पर अेक विज्ञापन प्रगट किया, जोकि अितिहासमें Wood's Despatch—बुड साहब के खरीते के नाम से मशहूर है।

पहिले तो अिस चिठे ने शिक्षा के ये सिद्धान्त अिस देश के लिये स्थिर किये : 'यह सत्य है कि भारत अपनी प्राचीन भाषाओं के बिना काम नहीं चला सकता, तिस पर भी भारत की अुन्नति के लिये युरोपीय कला, विज्ञान, दर्शन और साहित्य ज्ञान की विशेष ज़रूरत है।' जाहिगत ने जन शिक्षा पर भी विशेष ज़ोर दिया। शिक्षा के माध्यम पर, अिस दस्तावेज ने गौर किया, 'भारत की शिक्षाप्रणाली में अँग्रेजी

और मातृभाषा दोनों का विशेष स्थान है—अंग्रेजी उच्च शिक्षा के लिये और मातृभाषा साधारण शिक्षा के लिये ।’

तत्पश्चात्, खरीते ने शिक्षा की अुन्नति के लिये कुछ महत्त्वपूर्ण शिफारिसें कीं : (१) शिक्षा विभाग—अुपस्थित पाँच प्रान्तों में शिक्षा विभाग खोले जावें । यह विभाग अेक डी. पी. आओ० के मातहत में रखा जावे, और अुसे सहायता देने के लिये कुछ अिन्सपेक्टर मुकरर किये जावें । (२) विश्वविद्यालय—कलकत्ता, बम्बई और अन्य किसी दूसरे शहर में जहाँ विश्वविद्यालय की गुँजाआंश हो, खोले जावें । ये प्रतिष्ठान लन्दन युनिवर्सिटी के ढर्रे पर स्थापित किये जावें और ज्यादातर परीक्षा का काम चलावें । अिसके सिवा वे कानून और सिविल अिन्जिनियरिंग सिखाने का विशेष बन्दोबस्त करें; और भारत के प्रचलित और पूर्व भाषाओं (सँस्कृत, अरबी और फारसी) के अध्ययन के लिये अपने आचार्य नियुक्त करें । (३) स्कूलें—अभी तक शिक्षा का विस्तार, केवल अुच्च समाज में हुआ है । यह नीति बिलकुल गलत है, क्योंकि शिक्षा का लाभ साधारण जन समुदाय को नहीं मिलता । अिसलिये, हाओीस्कूलें काफ़ी तादाद में खोली जावें और शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रहे । प्रायमरी शिक्षा की अुन्नति के लिये सरकार भारत के पुराने स्कूलों को अपनावे और अुनकी अुन्नति करे । (४) ग्राण्ट—सरकार अपने अुपर शिक्षा का सम्पूर्ण भार नहीं ले सकती और अुसे गैरसरकारी संस्थाओं से काफ़ी मदद लेनी पड़ेगी । प्रत्येक प्रान्तीय सरकार अुपयुक्त गैरसरकारी शिक्षा प्रतिष्ठानों को सन्तोषजनक ग्राण्ट देवे और अुसके लिये अुचित कायदे बनाये । (५) अन्य शिफारिसें—अुनके सिवा, खरीत ने स्त्री-शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया और शिक्षकों की ट्रेनिंग का बन्दोबस्त करने के लिये कहा । मुसलमानों में भी शिक्षा विस्तार जरूरी समझा गया ।

अिन शिफारिसों को अमल में लाने के लिये, प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा विभाग खोले गये। अुसके तत्त्वावधान के लिये, डी. पी. आओी. और अिन्सपेक्टर नियुक्त हुअे। बम्बओी, कलकत्ता और मद्रास में, विश्वविद्यालय स्थापित हुअे। ग्राण्ट-अिन-अेड अर्थात् गैरसरकारी शिक्षा प्रतिष्ठानों को आर्थिक सहायता देने की प्रथा शुरू हुओी। शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिये, स्कूल और कालेज खुलने लगे। स्त्री-शिक्षा की तरफ सरकार कुछकुछ ध्यान देने लगी। अिस प्रकार, अिस देश की शिक्षा में अेक नवीनता आओी।

जरा गौर करने पर हम देखेंगे कि अिस देश की प्रचलित शिक्षा प्रणाली अिस प्रसिद्ध खरीते का फल है। १८५४ के पहिले अिस देश में आजकल के समान डी. पी. आओी., अिन्सपेक्टर और विश्वविद्यालय न थे। गैरसरकारी स्कूल और कालेजों को नियमित सहायता न मिलती भी। स्त्री शिक्षा की ओर विशेष ध्यान न था। साधारण शिक्षा को छोड़कर, अुद्योग और धन्धे सिखाने का बन्दोबस्त न था। गरीब, मंघावी विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति का प्रबन्ध न था। किसी विद्वान का कथन है, '१८५४ का डिसपेच भारतीय शिक्षा अितिहास की पराकाष्ठा है,'^x

पर दुःख की बात है कि डिसपेच की कओी शिफारिसें अुसी समय अमल में नहीं लाओी गओी, जैसे कि आनर्स कोर्स, युनिवर्सिटियों में भारतीय भाषाओं को सिखाने के लिये आचार्यों की नियुक्ति, शिक्षा का माध्यम, भारत के पुराने विद्यालयों का पुनरुद्धार, अित्यादि।

१८५७ के बलवे के बाद, भारत के शासन की बागडोर अिस्ट्रिअिण्डिया कम्पनी के हाथ से अिंग्लैंड सरकार ने स्वयँ ले ली। तत्त्वावधान का कार्य बोर्ड आफ कन्ट्रोल और कोर्ट आफ डायरेक्टरर्स के पास से

^x James, H. R. Education and Statesmanship in India p. 42

अंग्रेजी मन्त्रीमण्डल के अेक मन्त्री (सेक्रेटरी आफ् स्टेट अर्थात् भारत सचिव) को सौंप दिया गया ।

लार्ड स्टेनले सर्व प्रथम भारत सचिव थे । १८५६ आी० में, अेक डिसपेच द्वारा अुन्होंने वुड साहब के खरीते का पूर्ण रीतिसे अनुमोदन किया ।

१८५७ आी० में कलकत्ता बम्बयी और मद्रास में विश्वविद्यालय खुलने पर अंग्रेजी शिक्षा की माँग बहुत बढ़ी । गदर के पहिले आर्टस कालेजों की संख्या सिर्फ २२ थी और कुल अिनीगिनी १०७ माध्यमिक शालाओं थीं । १८८२ में कालेजों की तादाद ५९ और माध्यमिक शालाओं की संख्या तीन हजार से अधिक पहुँच गयी । मुसलमान भाअिओंने देखा कि अंग्रेजी शिक्षा के बिना काम न चलेगा और अुन्होंने अंग्रेजी स्कूल और कालेजों में अपने बालकों को भेजना शुरू किया । १८७५ आी० में प्रसिद्ध नेता, सर सैय्यद अहमद ने अलीगढ़ कालेज की स्थापना की ।

लेकिन प्राथमिक शिक्षा में कुछ विशेष अुन्नति न हुयी । १८८२ आी० में, लार्ड रिपन ने अिस बात की तहकीकात करने के लिये अेक कमीशन मुकर्रर की । भारतीय शिक्षा के विषय में पूछताछ करने के लिये, यह सबसे पहली कमीशन थी । चूँकि अिसके प्रधान थे सर विलियम हण्टर(१२), अिस लिये यह हण्टर कमीशन के नाम से मशहूर है ।

यह कमीशन विशेषकर मिशनरियों की चेष्टाओं के कारण नियुक्त हुयी थी । वुडस डिसपेच ने गैरसरकारी स्कूल और कालेज खोलने पर विशेष जोर दिया था और अुस समय प्रायः सभी गैरसरकारी शिक्षा प्रतिष्ठान मिशनरी लोग चलाते थे । अिस कारण, अुन्होंने सोचा था कि भविष्य में प्रायः सभी स्कूल और कालेज वे ही चलायेंगे । पर डिसपेच की शिफारिसों की ओर सरकार ने विशेष ध्यान न दिया, और जहाँ तहाँ स्कूल और कालेज खोलना शुरू किया । सरकार की यह

नीति मिशनरियों को अच्छी न लगी और अन्होंने उसका घोर विरोध किया। हण्टर कमीशन की नियुक्ति इस विरोध का फल है।

कमीशनने सारे देशका दौरा किया और १८८३ साल में अेक बृहत रिपोर्ट प्रकाशित की। जिसका सार यह है।

प्राथमिक शिक्षा—जन-शिक्षा फैलाना प्रत्येक सरकार का कर्तव्य है। अतीत में भारत सरकार ने इसके लिये खुद कुछ नहीं किया। प्राथमिक शिक्षा का सम्पूर्ण भार, डिस्ट्रिक्ट और लोकल बोर्डों पर रखा जावे। पुरानी पाठशालाओं के संशोधन की भी विशेष ज़रूरत है। शिक्षकों के ट्रेनिंग के लिये, प्रत्येक विभाग के अिन्सपेक्टर के मातहत कमसे कम अेक नार्मल स्कूल खोला जावे।

माध्यमिक शिक्षा—माध्यमिक शिक्षा का विस्तार गैरसरकारी संस्थाओं पर छोड़ दिया जावे। सरकार अुन्हें अपयुक्त ग्राण्ट देवे, और आवश्यकता बिना स्वयं स्कूल न खोल। चूंकि विद्याप्रणाली अेकदम शास्त्रीय हो गयी है, असलिये अेन्ट्रेन्स परीक्षा में दो प्रकार के पाठ्यक्रम की ज़रूरत है: (अ) शास्त्रीय पाठ्यक्रम—विश्वविद्यालयों की अेन्ट्रेन्स परीक्षा के लिये, (ब) व्यावहारिक पाठ्यक्रम— जो कि अुद्योग और व्यवसाय सिखाने की ओर ध्यान देवे।

कालेज की शिक्षा—माध्यमिक शिक्षा के समान, कालेजी शिक्षा का विस्तार गैरसरकारी संस्थाओं पर छोड़ देना चाहिये।

विविध विषय—राजकुमारों की शिक्षा के लिये, स्वतन्त्र स्कूल और कालेजों की विशेष ज़रूरत है। मुसलमानों में शिक्षा—विस्तार के लिये, साम्प्रदायिक स्कूल और नार्मल स्कूल खोलना चाहिये। मुस्लिम छात्रों को वृत्ति दी जावे, और मुस्लिम अिन्सपेक्टर नियुक्त किये जावें। स्त्रीशिक्षा के विस्तार के लिये, सरकार जनाना पाठिकाओं और गैरसरकारी स्कूलों को विशेष ग्राण्ट देवे। महिला अध्यापन सस्थाओं

और अिन्सपेक्ट्रेसों की भी विशेष ज़रूरत है। अिस देश में, गैरसरकारी शिक्षा प्रतिष्ठानों की बहुत ज़रूरत है। अिस विषय में, मिशनरी सोसाइटिया को कोअी भी खास रियायत नहीं दी जा सकती है। अुनको किसी भी भारतीय गैरसरकारी संस्था से ज़्यादा अधिकार नहीं मिलना चाहिये। — अिसके सिवा, अिस देश के स्कूल और कालेजों में नीति शिक्षा देने का बन्दोबस्त करना चाहिये।

कमीशन की कअी शिफारिसें विशेष अुल्लेखयोग्य हैं। प्रथमतः, प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध डिस्ट्रिक्ट और लोकल बोर्डों को सुपुर्द करना, क्योंकि किसी भी छोटेसे छोटे भागकी माँग और ज़रूरतों का पूरा अन्दाज बोर्ड ही लगा सकती है। द्वितीयतः कमीशन ने बताया कि जनता में प्राथमिक शिक्षा फैलाने की पूरी जिम्मेदारी शासक पर है। तृतीयतः अुच्च शिक्षा का विस्तार गैरसरकारी संस्थाओं पर छोड दिया जावे, और सरकार अुन्हें अुचित ग्रान्टों से सहायता करे। चतुर्थ अिस कमीशन ने सबसे पहिले बताया कि अिस देश की शिक्षा प्रणाली में अुद्योग और धन्धे सिखाने का बन्दोबस्त करना चाहिये।

पर खेदकी बात है कि अिन शिफारिसों का कुछ विशेष असर न हुआ। सरकार ने प्राथमिक शिक्षाको ओर अैसा कुछ विशेष ध्यान न दिया, और अुच्च शिक्षा का विस्तार स्वयँ करती रही। अवश्य, प्राथमरी शिक्षा का प्रबन्ध डिस्ट्रिक्ट और लोकल बोर्डों के सुपुर्द कर दिया गया और कअी प्रदेशों ने माध्यमिक शालाओं के लिये स्कूल लीविंग परीक्षा का बन्दोबस्त किया।

पर कमीशन की शिफारिसों के कारण, गैरसरकारी स्कूल और कालेजों की संख्या अच्छी तरह बढ़ी। १९०२ अी० में कालेजों की संख्या १४१ तक पहुँच गअी, जिसमें ७९ गैरसरकारी कालेज थे।

अिस काल की सब से मार्के की बात है, जातीय जागृति। अँग्रेजी शासन के विरुद्ध कुछ भी मत होने पर भी, हम सबको मानना ही

पड़ेगा कि अन्तु शासन ने भारत के बिखरे हुअे हिस्सों को फिर से जोड़ दिया था । भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में अेकता की सृष्टि हुअी, सम्पूर्ण देश में जातीय जागृति हो अुठी, लोग समझने लगे कि वे अेक माँ के सन्तान हैं और देश का पुनरुद्धार करना अुनका कर्त्तव्य है । १८८५ अी० में, अिन्डियन नेशनल काँग्रेस की स्थापना हुअी । आर्य समाज (१८७५), थेयोसफीकल सोसाअीटी (१८७८), रामकृष्ण मिशन (१८७६) ने धार्मिक सँशोधन का बीड़ा अुठाया ।

हमारे नेताओं ने भी देखा कि हमारे भावी नागरिकोंको स्कूल और कालेजों में अुचित शिक्षा नहीं मिलती । हमारी शिक्षा प्रणाली में थी पाश्चात्य शिक्षा की छाप और धार्मिक शिक्षा का अभाव । देश के नवयुवकों के चरित्र सँगठन के लिये कअी स्कूल और कालेज खोले गये । अुनमें मुख्य थे : फर्ग्युसन कालेज, पूना, डॉ. अे. वी. कालेज, लाहोर; सेण्ट्रल हिन्दू कालेज, बनारस; अित्यादि ।

मिशनरियों ने अपनी शिक्षा नीति बदल डाली । जब अुन्होंने देखा कि अुनके साथ कुछ रियायत नहीं की जावेगी तो वे विशेष हताश हुअे । अुन्होंने सोचा था कि सरकार कुछ अिनेगिने स्कूल और कालेज चलावेगी और अुन्हें सारे गैरसरकारी शिक्षा प्रतिष्ठानों को चलाने का पूरा अधिकार मिल जावेगा । पर अुन्होंने देखा कि कमीशन ने अुन्हें कुछ विशेष अधिकार न दिया वरन अुल्टे ही चाहा कि दे अिस देश में शिक्षा का विस्तार भारतीय गैरसरकारी सँस्थाओं पर छोड़ दिया जावे ।

अिस प्रकार मिशनरियों की आशाओं पर पानी फिर गया । अुनके हताश होने का और भी अेक विशेष कारण था । अुन्होंने देखा कि अँग्रेजी शिक्षा के विस्तार के साथ अीसाअी मत का फैलाव अिस देश में नहीं हुअा । १८७२ अी० से, प्रत्येक दसवर्षीय क्रिश्चियन सम्मेलन में अिस बात पर बहुत कुछ बहस हुअी । अखिर १८६२ अी० में बम्बअी कानफेरन्स में यह तय हुअा कि स्कूल शिक्षा मिशनरियोंका काम नहीं

है, उन्हें आसाजी बच्चों के लिये सिर्फ कुछ अनेगिने स्कूल और कालेज चलाना चाहिये।—असके बाद, अुनकी नीति में विशेष परिवर्तन हुआ। आसाजी मत का प्रचार, अुन्होंने शहरों के बदले गाँवों में और अुच्च समाज को छोड़ निम्न जाति (विशेषकर हरिजन और आदि वासियों) में शुरू किया।

अिस काल में दो नये विश्वविद्यालय खोले गये: (अ) पञ्जाब युनिवर्सिटी (१८८२ आ०); और (ब) अलाहाबाद युनिवर्सिटी (१८८७ आ०)। कालेजों की संख्या ८५ (१८८२ आ०) से १४१ (१९०२ आ०) तक पहुँच गयी।—माध्यमिक शालाओं की भी तादाद बढ़ गयी। १८८२ आ० से १९०२ आ० तक, स्कूलों की संख्या ३,९१६ से ५,१२४ और विद्यार्थियों की गिनती २,१४,०७७ से ५,६०,१२६ तक पहुँच गयी।

पर अिस विस्तार के साथ साथ, हमारी शिक्षा की बुराइयाँ भी कुछ कुछ नज़र आने लगीं। अँग्रेजी स्कूलों और कालेजों की संख्या अवश्य बढ़ी, पर अधिकाँश संस्थाएँ गैरसरकारी थीं। न अुनके पास थे अुपयुक्त अिमारत और न अध्यापक, न अुचित रकम और न पुस्तकालय। वे न विश्वविद्यालय की परवाह करते थे, और न शिक्षा विभाग की। विश्वविद्यालयों का अिन प्रतिष्ठानों पर कुछ भी अधिकार न था, क्योंकि निरीक्षण करने का अुन्हें कुछ भी हक न था। वे शिक्षा विभाग की भी परवाह नहीं करते थे, क्योंकि परिक्षाओं में छात्रगण प्राअिवेट रीति से बैठ सकते थे।

पाठ्यक्रम अेकदम सङ्कीर्ण हो गया था। विज्ञान, भारतीय भाषाओं और अितिहास का अुसमें कोअी भी स्थान न था। अँग्रेजी प्रथम वर्ग से शिक्षा का माध्यम अँग्रेजी हो गया था और अिस विजातीय भाषा के सिखाने के लिये विशेष ज़ोर दिया जाता था।

अवश्य, माध्यमिक शिक्षा में हेरफेर करने की थोड़ी बहुत चेष्टा की गयी थी। प्रायः सभी प्रदेशों ने स्कूल लीविंग परीक्षा का बन्दोबस्त किया : मद्रास (१८९९ आ०) बम्बयी (१८९७ आ०) संयुक्त प्रान्त (१८९४ आ०) पंजाब (१९०१ आ०) और बँगाल (१९०० आ०) इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सांख्यिक, कृषि, अद्योग, मेनुयल ट्रेनिंग अित्यादि विषयोंका समावेश किया गया। पर इस परीक्षा में कुछ अिनोगिने विद्यार्थी बैठते थे।

सबसे खेद की बात तो यह थी कि प्राथमिक शिक्षा की तरफ किसी ने भी विशेष ध्यान न दिया। इस शिक्षाका भार डिस्ट्रिक्ट और लोकल बोर्डों पर दिया गया था। पर अर्थाभाव के कारण, वे कुछ भी विशेष कार्य न कर सके। १८८५ आ० से १८०२ आ० तक, प्रायमरी स्कूलों की छात्रसँख्या सिर्फ ६६०,००० बढ़ी।

चौथा अध्याय

कर्जन की करतूत (१८९८-१९०४)

अितने में लार्ड कर्जन वाअिसराय होकर आये। वे बहुत ही चतुर, कार्यदक्ष और दूरदर्शी थे। उनका ध्यान शीघ्र ही शिक्षा के अँबों की ओर गया। उस समय विश्वविद्यालय सिर्फ परीक्षा का काम चलाते थे, अयोग्य कालेज और माध्यमिक शालाओं की गिनती दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती थी, विश्वविद्यालय और शिक्षा विभाग का उन पर कुछ भी अधिकार न था; प्राथमिक शिक्षा की अवस्था शोचनीय थी; अद्योग और धन्धे सिखाने का कुछ भी बन्दोबस्त न था।

भारतमें पहुँचते ही, अन्होंने सिमला में सब प्रादेशिक डी. पी. आअी की बैठक बुलाअी। प्रायमरीसे लेकर विश्वविद्यालय की शिक्षा पर बहस

हुआ। इस बैठक के बाद, सरकारने शीघ्र अपनी नीति बदली। अर्थात् तक शिक्षा के विषय में सरकार कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करती थी। पर अब शिक्षा की प्रत्येक बात पर, सरकारने अपनी हुकूमत रखना जरूरी समझा।

पर सिमला की बैठक ने लोगों के हृदय में सन्देहरूपी बीज बोये। इस सम्मेलन की कार्यवाही गुप्त रखी गयी थी। सरकारी अफसरों के सिवा, दो मिशनरी इस बैठक में बुलाये गये थे। पर कोई भी भारतवासी को निमन्त्रण नहीं मिला था। लोगों ने सोचा ज़रूर कुछ न कुछ दाल में काला है।

सिमलाकी बैठक के बाद, उच्च शिक्षा के विषय में तहकीकात करने के लिये लार्ड कर्जन ने १९०२ आ० में एक युनिवर्सिटी कमीशन नियुक्त किया। शुरु में, सदस्यों की तालिकामें एक भी भारतवासी का नाम न था। अन्त में लोगों के प्रतिवाद करने पर, दो भारतवासी सदस्य नियुक्त हुये। पर जिस सन्देहरूपी बीज को सिमला कान्फेरन्स ने बोया था, वह शीघ्र अङ्कुरित हो पौधेरूप में परिणत हो गया। इस पौधे ने शीघ्र ही विशाल वृक्षरूप धारण किया।

यह अवश्य मानना ही पड़ेगा कि उच्च शिक्षा में बहुत कुछ संशोधन की जरूरत थी। १८५७ आ० में विश्वविद्यालयों के स्थापित होने के बाद, उनमें कुछ भी हेरफेर नहीं हुआ था। इस विशाल देशमें सिर्फ पाँच विश्वविद्यालय थे, जिनका काम था केवल परीक्षाका कार्य चलाना। न स्वयं कुछ पढ़ाईका काम कर सकते थे, और न स्कूल, कालेजों पर उनकी कुछ हुकूमत थी, सिनेट (senate) के सदस्योंकी संख्या स्थिर नहीं थी, और प्रत्येक सदस्य मृत्यु पर्यन्त सिनेटमें बैठ सकता था।

पर कमीशन की शिफारिसें, शिक्षित समाजके आशानुरूप न हुआं। जनताके विरोध के कारण, कमीशन को अपनी दो शिफारिसें

(द्वितीय श्रेणी के कालेजों को बन्द करना और कालेजों की फी स्थिर करना) छोड़ देनी पड़ी । लोगों में यह आतङ्क फैला कि सरकार इस प्रकार अच्च शिक्षा रोकना चाहती है ।

रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें अेक बिल द्वारा केन्द्रीय धारासभा में पेश की गयीं । इस बिल का घोर विरोध हुआ । पर १९०४ आी० में, यह बिल अेक अैक्टरूप में पास हो गया । इसके मुख्य विधान ये हैं :—
 (१) विश्वविद्यालय अपने अध्यापक नियुक्त कर सकते हैं । इसके सिवा, अुन्हें अपने पुस्तकालय, छात्रावास, अजायबघर और विज्ञान रसायनशाला खोलने का अधिकार है । (२) सिनेट के सदस्यों की संख्या ५० से १०० रहेगी । सिनेट के प्रत्येक सदस्य की अवाधि पाँच वर्ष की होगी । (३) युनिवर्सिटियों को अपने स्कूल और कालेजों के निरीक्षण का हक रहेगा । कमीशन ने प्रत्येक विश्वविद्यालय की हद को बाँध दिया ।

अिस कायदे ने शिक्षित समाज की आशाओं पर पानी फेर दिया । लोगों ने सोचा था कि कर्जन साहब के उद्योग से अिस देश में आक्सफोर्ड, केम्ब्रिज सरीखे विद्यापीठों की सृष्टि होगी, गवेषणा में वृद्धि होगी, तथा सिनेट में चुने हुये सदस्यों की संख्या बढ़ेगी । पर अुन्होंने अब देखा कि देश में नये विद्यापीठों की माँग रहते हुये भी, न अेक नया विद्यापीठ खोलने की अिजाजत मिली और न पुराने विद्यापीठों को कुछ विशेष अधिकार मिला । अुल्टे विश्वविद्यालयों पर सरकार का प्रभुत्व फैल गया; क्योंकि सिनेट के ८० प्रतिशत सदस्य सरकार से स्वीकृत व्यक्ति होनेवाले थे ।

अिन कारणों से जनता में असन्तोष फैला और अुसने युनिवर्सिटी अैक्ट का घोर विरोध किया । पर तात्कालिक फल कुछ न हुआ । पर यह मानना ही पड़ेगा कि अिस कायदे से अुच्च शिक्षा में बहुत कुछ अुन्नति हुई । युनिवर्सिटी के डर के कारण, कालेज और माध्यमिक

शालाओं को सावधान होना पड़ा। उनका अिमारतो, पुस्तकालयों और अध्यापकों में बहुत कुछ अुन्नति हुअी।

अिसके बाद १९०४ अी० में, लार्ड कर्जन ने भारतीय शिआ के सम्बन्ध में अपने विचारों को अेक सरकारी प्रस्ताव के रूप में जाहिर किया। तात्कालिक शिआ की हालत पर अिस प्रस्ताव ने गौर किया, 'हर पाँच गांवों में से चार में विद्यालय नहीं हैं। प्रति चार में से तीन बालकों को शिआ नहीं मिलती, और हर चालीस में से सिर्फ अेक बालिका को स्कूल में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है।'

शिआ के अैवों पर, अिस प्रसिद्ध दस्तावेज ने लिखा, 'अुच्च शिआ की माँग सिर्फ सरकारी नौकरी पाने के लिये है। पढ़ाअी में सबसे ज़्यादा ध्यान, परीआ पर दिया जाता है। पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा शास्त्रीय हो चला है। विद्यार्थीगण घुटन्त विद्या पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अँग्रेजी शिआ दिन प्रतिदिन ज़्यादा लोकप्रिय होती जाती है, जिसके कारण मातृभाषा की अवनति होती जाती है।'

अिन बुराअियों को हठाने के लिये, प्रस्ताव ने जोर दिया कि सरकार स्वयं ज़्यादा स्कूल और कालेज न चलावे पर शिआ का विस्तार गैरसरकारी संस्थाओं पर छोड़ देवे। सरकार अुन्हें अुचित ग्राण्ट देवे, अुनका ठीक निरीक्षण करे, और कुछ आदर्श विद्यालय चलावे।

प्रस्ताव ने स्वीकार किया कि अर्थाभाव के कारण प्राथमिक शिआ का ठीक विस्तार नहीं हुआ। अिस कमी को दूर करने के लिये प्रान्तीय सरकार को प्राथमिक शिआ के लिये अुचित आर्थिक सहायत देनी चाहिये। अिसके सिवा, पाठ्यक्रम में काफी रद्दोबदल की भी जरूरत है।

माध्यमिक शिआ के विषय में प्रस्ताव ने गौर किया कि गत बीस वर्ष में अिस शिआ का सन्तोषजनक विस्तार हुआ है पर बहुतसे निकम्मे विद्यालय स्थापित हुये हैं। पर सरकार को अैसे विद्यालयों को स्वीकारपत्र

कभी भी नहीं देना चाहिये । शिक्षा के माध्यम के विषय में प्रस्ताव ने कहा, 'अँग्रेजी भाषा का प्राथमिक शिक्षा में कोअी भी स्थान नहीं है । किसी भी बालक को अँग्रेजी भाषा तबतक न सिखानी चाहिये जब तक कि अुसे अपनी मातृ-भाषा का ज्ञान ठीक तौर से न मिल गया हो । तेरह वर्ष की अुमर के पहिले, किसी भी बालक की शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा न होनी चाहिये ।'

युनिवर्सिटी की शिक्षा के बारे में प्रस्ताव ने कहा कि भारत के विद्यापीठ विद्यार्थियों को केवल परीक्षा के लिये तैय्यार करते हैं, पर जीवन-संग्राम की शिक्षा बिलकुल नहीं देती । प्रस्ताव ने कृषि, उद्योग और धन्धे सिखाने पर भी विशेष जोर दिया, और शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिये काफ़ी तादाद में ट्रेनिंग स्कूल खोलने के लिये कहा ।

स्त्री-शिक्षा के विषय में प्रस्ताव ने आदर्श प्रायमरी स्कूल, स्वतंत्र स्त्री अध्यापनशाला और इन्सपेक्ट्रों के नियुक्ति की जरूरत बतलायी ।

अिस प्रकार प्रस्ताव ने शिक्षा के प्रत्येक विषय पर काफ़ी नुकताचीनी की, दोष बताये और सुधार के अुपाय भी सुभाये । अिन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि कर्जन साहब अिस देश की शिक्षा की कुरीतियों से विशेष परिचित थे । लेकिन सिमला कानफेरेन्स के बाद, जनता अुनके शिक्षा सम्बन्धी विचारों को सन्दिग्ध दृष्टि से देखने लगी । १९०५ अी० में बंगविच्छेद का प्रस्ताव पास हुआ, जिस कारण सभ्य समाज में और भी अशान्ति की सृष्टि हुअी ।

बंगमाता के अूपर खड्गाघात का विचार, बंगालियों को अेकदम सहन न हुआ । उन्होंने स्वदेशी आन्दोलन मचाया जिसका मूलमन्त्र था विदेशी चीजों का बहिष्कार करना और देशी चीजों का व्यवहार करना । अिस आन्दोलन के कर्णधार थे सुरेन्द्रनाथ बनरजी, रासविहारी घोष और रवीन्द्रनाथ ठाकुर ।

विद्यार्थियों को इस आन्दोलन से रोकने के लिये, एक सरकारी ऐलान प्रकाशित हुआ जिसका तात्पर्य यह था कि वे किसी भी राजकीय सभा में उपास्थित न रहें। बस फिर क्या था! विद्यार्थियों ने इसे अपना अपमान समझा। आंदोलन भभक उठा। यह पहला ही वस्तु था जब कि इस देश में विद्यार्थियों ने राजकीय आन्दोलन में भाग लिया।

जातीयशिक्षाके प्रचारके लिये, कलकत्ता में एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् (National Council of Education) स्थापित हुई। बंगाल में बहुतसे नेशनल स्कूल खोले गये। कलकत्ता में एक नेशनल कालेज स्थापित हुआ, जिसके प्रधानाध्यापक थे प्रसिद्ध नेता अराविन्द घोष। कलकत्ते के पास जादवपूर में एक इंजिनियरिंग कालेज खोला गया। पर जातीय आन्दोलन की शिथिलता के साथ, जादवपूर कालेज के सिवा बाकी सब शिक्षा-प्रतिष्ठान बन्द हो गये।

पर इस आन्दोलन ने देश की स्थिति में बड़ा परिवर्तन कर दिया। लोगों का ध्यान राजकीय सुधार तथा राष्ट्रीय संगठन की ओर गया। उन्होंने देखा कि जापान सरीखा एक नन्हासा देश रूस सरीखे एक महाशक्त के दाँत खट्टे कर सकता है। इसके सिवा, उन्होंने शीघ्र ही रूस, फारस और टर्की में क्रान्ति देखी। अिन सब बातों का असर भारत पर भी पड़ा। जनता में स्वाधीनता प्राप्त करने की अच्छी प्रबलतर हो उठी।

कर्जन साहब ने इस ज्वाला को बुझाने की भरसक चेष्टा की, पर अुनकी कूटनीति के कारण वह और भी भभक उठी। लोगों ने देखा कि शिक्षा की बागडोर सरकार पूर्णतः अपने हाथ में रखना चाहती है। इस कारण वे और भी बिगड़ उठे।

हमारे कभी नेताओं ने देखा कि हमारे स्कूल और कालेजों में भारतीय नीति के अनुसार शिक्षा नहीं मिलती है। इस देश के बच्चों

को अचित्त शिक्षा देने के लिये, कभी राष्ट्रीय शिक्षा प्रतिष्ठान खोले गये। उनमें मुख्य थे गुरुकुल काँगड़ी और शान्तिनिकेतन ब्रह्मचर्याश्रम। × आज ये प्रतिष्ठान आदर्श राष्ट्रीय विद्यापीठ समझे जाते हैं।

पाँचवाँ अध्याय

सुधार की ओर (१९०४-१९)

बीसवीं शताब्दी में भारत की शासन-प्रणाली में विशेष हेरफेर हुआ। देश में जातीय जागृति भभक अुठी। पिछली शताब्दी में राष्ट्रीय आन्दोलन शुरू हुआ था। पर वर्तमान शताब्दी के आरम्भ ही में शिक्षित लोगों ने देश के शासन कार्य में अधिकार की माँग की। अँग्रेज सरकार क्यों यह मानने लगी ! अुसने दमननीति का प्रयोग किया। पर अन्त में अुसे भी हार माननी पड़ी, क्योंकि जातीय जागृति को दबाना कठिन है।

शिक्षा में भी सरकार ने अस कूट नीति का प्रयोग किया। विश्व-विद्यालयों पर सरकार का विशेष दबाव था, क्योंकि सिनेट के ८० प्रतिशत सदस्य सरकार के मनोनीत व्यक्ति होते थे। कालेज और माध्यमिक शालाओं के निरीक्षण का अधिकार मिलने के कारण विश्वविद्यालयों ने उन पर अपनी धाक जमा ली। शिक्षा-विभाग भी शालाओं की जाँच विशेष रूप से करने लगा। प्राथमिक शिक्षा में भी थोड़ी बहुत अुन्नति हुई।

१९१० अी० में, वाजीसराय की प्रबन्धकारिणी सभा में अेक सदस्य और बढ़ाया गया। अस सदस्य को शिक्षा विभाग सौंपा गया। आवश्यकतानुसार, भारत सरकार ने शिक्षासम्बन्धी कितने ही वक्तव्य निकाले, बैठकें बुलायीं और प्रान्तीय सरकारों को आर्थिक सहायता दी।

लोगों में अँग्रेजी शिक्षा पाने की अिच्छा दिन प्रतिदिन प्रबलतर होती

गयी। प्रत्येक विश्वविद्यालय ने सुन्दर २ अमारतें खड़ी कीं, पुस्तकालय खोले और कभी विषयों में पोस्ट-ग्रेजुएट क्लास चलाना आरम्भ किया। नये विश्वविद्यालय खोलने का आन्दोलन शुरू हुआ। बर्मा, बिहार, मध्यप्रदेश और पूर्व बंगाल के लोगों ने अपने अपने प्रान्तों में युनिवर्सिटी स्थापित करने के लिये सरकार के पास अर्जी पेश की।

माध्यमिक शिक्षा में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ। विज्ञान-शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। स्कूल-लीविंग परीक्षा को लोक-प्रिय बनाने की कोशिश की गयी। पर विश्वविद्यालय की छाप के अभाव के कारण, चेष्टा सफल नहीं हुयी।

प्राथमिक शिक्षा में कोयी विशेष अुन्नति न होने के कारण, जनता हताश हो गयी। लोगों ने देखा कि अपने पाँवों पर स्वयं खड़े हुअे विना, अिस देश में शिक्षा की अुन्नति असम्भव है। अिस आन्दोलन के कर्णधार थे प्रसिद्ध नेता स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले। १९१० अी० में, अुन्होंने केन्द्रीय धारासभा में अेक प्रस्ताव पेश किया। जिसका सारांश यह था कि भारत के अुन भागों में, जहाँ कि ३३ फी सदी मनुष्य शिक्षित हैं, ६ से १२ वर्ष के प्रत्येक बालक को मुफ्त प्राथमरी शिक्षा दी जावे। पर सरकार द्वार अिस विषय पर विशेष ध्यान देने का वचन दिया जाने पर, गोखलेजी ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया।

पर जब सरकार ने कुछ न किया, तब दूसरे साल गोखलेजी ने प्राथमरी शिक्षाके विस्तार के लिये दूसरा बिल केन्द्रीय धारासभा में पेश किया। बिल की शर्तें बहुत सावधानी से रखी गयी थी, ताकि अुनका विशेष विरोध न हों। मुख्य शर्तें ये थी: (अ) यह कानून सिर्फ अुन डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्डों पर लगाया जावे, जहाँके बालक-बालिकाओं की संख्या का अेक निर्धारित भाग वर्तमान काल में स्कूलों में पढ़ रहा हो। (आ) अिस 'भाग' को वाअीसराय की कार्यकारिणी सभा निर्धारित करे। (अि) यह कानून केवल अुन डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्डों में अमल में

लाया जावे, जहाँ इसकी माँग हो। सम्पूर्ण या कुछ भाग में लगाने का अधिकार उन बोर्डों पर छोड़ दिया जावे। (अ) कानून को अमल में लानेके लिये, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट या म्यूनिसिपल बोर्ड को सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। (अु) जहाँ यह कानून लगाने की अनुमति मिले, वहाँ के ६ से १० वर्ष की उमरवाले प्रत्येक बालक को स्कूल में पढ़ना ज़रूरी होगा। (अू) कानून धीरे धीरे बालिकाओं के लिये भी लागू किया जावे। (अँ) उन बालकों को, जिनके अभिभावकोंकी मासिक आय १०) से कम हो, मुफ्त शिक्षा दी जावे। (अै) प्रत्येक बोर्ड में स्कूल कमेटी मुकर्रर हो, जोकि कानून तोड़नेवाले अभिभावकों को दंड देवे। (ओ) शिक्षा का खर्च चलाने के लिये प्रत्येक बोर्ड को शिक्षा-कर लगाने का अधिकार दिया जावे। —खर्च का ३ भाग सरकार दे।

बिल पर बहुत कुछ बहस हुई। पर ५१ सदस्योंमें से केवल १३ सदस्यों ने गोखलेजी का समर्थन किया। सरकारी और जमींदार सदस्य कब यह बिल पास होने देनेवाले थे ! यदि श्रीयुत गोखले उस समय सफल हुअे होते, तो शायद आज इस देश में अनपढ़ मनुष्यों की संख्या अितनी न रहती।

पर इस बिल का असर अच्छा ही हुआ। १९१० में काँग्रेस और मुस्लीम लीग ने अपनी अिलाहबाद और नागपूर की बैठक में मुफ्त और अनिवार्य प्रायमरी शिक्षा देने का प्रस्ताव पास किया। सरकार भी पहले से कुछ अधिक सावधान हो गयी। १९१२ अी० में जब सम्राट पञ्चम जार्ज इस देशमें आये, तब अुन्होंने जन-शिक्षा की अुन्नति के लिये प्रति वर्ष ५० लाख रुपया देना अंगीकार किया।

गोखलेजी के बिल की आँच विलायतमें भी लगी। अुप भारत सचिव ने पार्लिमेण्ट में भारत में शिक्षा-विस्तार करने का वचन दिया। इसके फल-स्वरूप भारत सरकार ने २१ फरवरी १९१३ अी० को शिक्षा सम्बन्धी अेक प्रस्ताव जाहिर किया।

अस दस्तावेज ने स्वीकार किया कि पैसे के अभाव के कारण, शिक्षा में कुरीतियाँ फैल रही हैं। सरकार शिक्षा के लिये यथेष्ट पैसा नहीं खर्च कर सकी। अस कारण, शिक्षा का विस्तार ठीक तौर से नहीं हो सका।

शिक्षा की अुन्नति के लिये, दस्तावेज ने तीन मार्ग बताये : (१) पाठ्यक्रम की अुन्नति; (२) प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में साधारण विद्यार्थियों को अुद्योग और धन्धों के लिये तैयार करना, और (३) भारत में अुच्च शिक्षा और गवेषणा की उन्नति की आवश्यकता, ताकि अस देश के विद्यार्थियों को अध्ययन के लिये विदेश न जाना पड़े।

असलिये, जाहिरात ने प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में बहुत कुछ हेरफेर करना जरूरी समझा। दस्तावेज ने फिर कहा कि जहाँ तक हो सके लोअर प्रायमरी स्कूलों को अपर प्रायमरी स्कूलों में परिणत करना चाहिये।—माध्यमिक शिक्षा का विस्तार गैरसरकारी संस्थाओं पर छोड़ दिया जावे और सरकार अुन्हें अुपयुक्त ग्राण्ट देवे। पर अिन संस्थाओं पर सरकार की कड़ी निगरानी रहनी चाहिये। माध्यमिक शालाओं की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिये।

युनिवर्सिटी शिक्षा के विषय में दस्तावेज ने स्पष्टरूप से कहा कि भारत में उच्च शिक्षा की कमी है और अुसके विकास की काफी जरूरत है। देश में नये विश्वविद्यालयों की माँग है और सरकार को अस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। नयी युनिवर्सिटियों की बहुत आवश्यकता है। कुछ प्रधान शहरों में तस्थानीय (Unitary) विश्वविद्यालय खोले जावें और छोटे प्रदेशों में प्रादेशिक विद्यापीठ स्थापित किये जावें।

जाहिरात ने औद्योगिक शिक्षा और प्राच्य शिक्षा की वृद्धि की आवश्यकता बतलायी। स्त्री-शिक्षा के विषय में अुसने कहा कि लड़के

और लड़कियों के स्कूलों का पाठ्यक्रम अेक समान न होना चाहिये । अिसके सिवा, दस्तावेज ने धार्मिक शिक्षा, विद्यार्थियों के चरित्र-संगठन, गवषेणा कार्य और शरीर-शास्त्र सिखाने के लिये विशेष जोर दिया ।

पर अिस प्रस्ताव के प्रकाशित होते न होते, प्रथम विश्वयुद्ध आरम्भ हुआ । अिस कारण, शिक्षा का विकास वैसा न हुआ जैसा कि सोचा गया था । कअी नअी युनिवर्सिटीयां खुल गयीं : बनारस (१९१६ अी०), मैसूर (१९१६ अी०) भारतीय स्त्री-विद्यापीठ × (१९१६ अी०), पटना (१९१७ अी०), और हैद्राबाद (१९१८ अी०) । ये विश्वविद्यालय नये प्रकार के हैं ।

बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी प्रथम साम्प्रदायिक, गैरसरकारी, तस्थानीय संस्था है । मैसूर सबसे पहली रियासत थी, जहाँ कि अेक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया । पटने में सबसे पहले प्रादेशिक विश्वविद्यालय की नींव ढाली गअी । भारतीय स्त्रीविद्यापीठ ने स्त्री-शिक्षा में अेक नवीनता ला दी ।

माध्यमिक शालाओं में मातृभाषा द्वारा शिक्षा देने के लिये जोर-शोर से आन्दोलन शुरू हुआ । १९१५ अी० में, केन्द्रीय धारासभा में अेक प्रस्ताव पेश किया गया जिसका ध्येय यह था कि माध्यमिक शालाओं में मातृभाषा द्वारा शिक्षा दी जावे । अिस प्रश्न पर विचार करने के लिये सिमला में प्रादेशिक प्रतिनिधियों की अेक बैठक हुअी । पर मतभेद होने के कारण, कुछ भी ठीक निर्णय न हो सका ।

प्राथमिक शिक्षा में कुछ विशेष अुन्नति नहीं हुअी । १६१७अी० में यह देखा गया कि औसत प्रति ८.३ वर्गमील में लड़कों का अेक प्रायमरी स्कूल था ।

अिस समय की सबसे मार्के की बात यह है कि १६१७अी० के अिसतम्बर

महिने में कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा के विषय में तहकीकात करने के लिये सरकार ने एक कमीशन नियुक्त किया। इस कमीशन के सभापति थे लीड्स विश्वविद्यालय के वार्डस चान्सलर—सर माईकेल सेडलर। भारतीय सदस्यों में मुख्य थे सर आसुतोष मुकर्जी। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट १९१६ आी० में प्रकाशित की। यह रिपोर्ट, ज्ञान का खजाना है। भारतीय उच्चशिक्षा के सूक्ष्म प्रश्नों पर प्रकाश डालनेवाली यह रिपोर्ट अपने ढंग की अनूठी है।

कमीशन की मुख्य सिफारिशें ये थीं : (१) नवीन विश्वविद्यालय :— भविष्य में इस देश में तत्स्थानीय विश्वविद्यालय खोले जावें। पुरानी युनिवर्सिटियों में भी काफी रद्दोबदल की ज़रूरत है। कलकत्ता शहर की शिक्षा के लिये कलकत्ता विश्वविद्यालय को केम्ब्रिज या आक्सफर्ड युनिवर्सिटी के ढर्रे पर बदल दिया जावे। ढाका में एक तत्स्थानीय विद्यापीठ स्थापित किया जावे। (२) शासन—हर एक विश्वविद्यालय के शासन के लिये तीन प्रकार की सभाओं की ज़रूरत है— (अ) विद्यापीठ सभा (University Court)—पुराने सिनेट के ढंग की सभा (आ) विद्वत्परिषद् (Academic Council)—शिक्षा के सूक्ष्म प्रश्नों पर विचार करने के लिये। (आी) प्रबन्ध कारिणी सभा (Executive Council) पुराने सिन्डिकेट के ढंग की सभा। इन तीन सभाओं के अलावा, प्रत्येक विषय के लिये अलग अलग समितियों की ज़रूरत है। (३) माध्यमिक और अिण्टरमिडियेट शिक्षा :—इनके चलाने के लिये युनिवर्सिटी से स्वतन्त्र एक बोर्ड की ज़रूरत है, ताकि युनिवर्सिटियाँ अपना सम्पूर्ण समय उच्च शिक्षा पर व्यतीत कर सकें। ये नवीन बोर्ड दो प्रकार की परीक्षा चलावें, अर्थात् एक तो मैट्रिक परीक्षा के अनुरूप और दूसरी अिण्टरमिडियेट की नाहीं ऐसी परीक्षा, जोकि विद्यार्थियों को डाक्टरी, इञ्जिनियरिंग, कृषि, व्यापार, शिक्षा इत्यादि भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम के लिये तैयार कर सके।

अिनके सिवा, कमीशन ने और भी कअी महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं, जैसे कि तीन वर्षीय डिग्री कोर्स, आनर्स कोर्स, ट्युटोरियल-प्रथा, गवेषणा कार्य, भारतीय भाषाओं का बी. ए. पाठ्यक्रम में समावेश, अित्यादि। शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिये, कमीशनने प्रत्येक विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग विभाग खोलना जरूरी समझा और यह भी बतलाया कि बी. ए. तथा डिप्टरमिडियेट पाठ्यक्रम में 'शिक्षा' भी अेक विषय रखा जावे।

कमीशन की सब से अुल्लेखयोग्य सिफारिश थी शिक्षा के माध्यमके विषय में। अिस जटिल प्रश्न पर, अुसने मत दिया कि 'माध्यमिक शालाओं में, गणित और अँग्रेजी के सिवा बाकी विषय मातृभाषा द्वारा पढ़ाये जायं।' अुस समय में, यह अभिप्राय अेक विशेष उच्च कोटी की कमीशन की रिपोर्ट में स्थान पावे यह बात सराहनीय थी।

छठवाँ अध्याय

स्वाधीनता के पथ पर (१९२०-४८)

माण्टेग्यू-चेम्सफर्ड सुधार

२० अगस्त सन १९१७अी० को, जब कि प्रथम विश्वयुद्ध का लोम-हर्षण काण्ड हो रहा था, ब्रिटिश पार्लमेण्ट ने अेक प्रसिद्ध घोषणा द्वारा भारत को शनैः शनैः स्वेच्छानुसार स्वतन्त्रता प्रदान करने का वचन दिया। अिसके अनुसार सन १९१८अी० में भारत सचिव श्री. माण्टेग्यू अिस देश में आये और अुस समय के वाअीसराय लार्ड चेम्सफर्ड के साथ सारे देश का पर्यटन किया। अुनके प्रस्तावों में कुछ परिवर्तन कर, अिंग्लैण्ड की सरकारने कानून द्वारा भारत को माण्टेग्यू-चेम्सफर्ड सुधार प्रदान किया

अिन सुधारों की सबब से भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में बहुत

बड़ा परिवर्तन हुआ। शिक्षा के प्रबन्ध का सम्पूर्ण भार प्रान्तीय सरकार को दिया गया। इसके सिवा गवर्नरों के प्रान्तों में द्वैत शासन (Diarchy) शुरू हुआ। इस कारण, शिक्षा का सम्पूर्ण अन्तजाम एक निर्वाचित भारतीय मन्त्री के हाथ सौंप दिया गया। इस प्रकार प्रान्तीय धारासभा शिक्षा सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करने लगी, और जनता शिक्षा की अुन्नति के कार्य में काफी दिलचस्पी लेने लगी। इस सबब से, थोड़े ही समय में शिक्षामें बहुत कुछ हेरफेर हुआ।

केन्द्रीय सलाहकारी शिक्षा-परिषद्

पर अिन सुधारों के कारण केन्द्रीय सरकार को प्रान्तीय शिक्षा के कार्य में हस्तक्षेप करने का कुछ भी अधिकार न रहा। इससे कभी सुविधायें हुआँ। प्रान्तों को भारत सरकार से आर्थिक सहायता मिलना बन्द हो गया। प्रत्येक प्रदेश शिक्षा के सम्बन्ध में अलग रूप से विचार करने लगा और सारे देश की जखूरतों की ओर किसी का भी ध्यान न रहा। इसके पूर्व भारत सरकार सम्पूर्ण देश की आवश्यकताओं की ओर ध्यान रखती हुआँ, एक शिक्षा-नीति स्थिर करती थी। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार सारे देश को मार्ग दिखाती थी। पर अब यह बन्द हो गया।

अिस कमी को दूर करने के लिये १९२१ अी० में दिल्ली में एक केन्द्रीय सलाहकारी शिक्षा-परिषद् (Central Advisory Board of Education) स्थापित हुआँ। पर खेद की बात है कि दो वर्ष बाद वह परिषद् बन्द कर दी गयी। लेकिन १९३५ अी० में अुसका फिर से पुनरुत्थान हुआ और वह आज भी चल रही है। भारत के शिक्षा-सचिव इसके सभापति हैं और प्रत्येक प्रदेश से कम से कम दो शिक्षानीतिज्ञ अिस परिषद् के मेम्बर हैं। शुरूसे ही अिस संस्थाने अच्छा काम कर दिखाया है। देश के शिक्षा-सम्बन्धी अनेक जटिल प्रश्नों पर अिसने अच्छी रिपोर्टें प्रकाशित की हैं।

असहयोग आन्दोलन

लेकिन माण्टेग्यू-चेम्सफर्ड रिपोर्ट से काँग्रेस का गरम दल सन्तुष्ट न हुआ, और महात्मा गान्धी के नेतृत्व में सारे देश में असहयोग आन्दोलन शुरू हुआ। देखा गया कि विदेशी शिक्षा प्रणाली हमारे देश के भावी नागरिकों को अुचित शिक्षा नहीं दे रही है। अुन्हें राष्ट्रीय शिक्षा देने की कोशिश की जाने लगी, और प्रचलित शिक्षा प्रतिष्ठानों का बहिष्कार करना अुचित समझा गया।

दिल्ली, काशी, अहमदाबाद, पूना, लाहोर अित्यादि जगहों में राष्ट्रीय विद्यापीठ स्थापित हुअे और सारे देश में नेशनल स्कूल खोले गये। अिन प्रतिष्ठानों में मातृभाषा द्वारा शिक्षा दी जाने लगी, और पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति के अध्ययन के अूपर विशेष ध्यान दिया गया। हर एक स्कूल में चर्खा चलाना प्रत्येक विद्यार्थी को सिखाया जाने लगा।

पर आन्दोलन के सफलीभूत न होने की सबब से, ये सब विद्यालय बन्द हो गये। कारण ढूँढनेकी ज्यादा जरूरत नहीं है। हम लोगों में विश्व-विद्यालय चिन्हित कागजों की ज्यादा माँग है। राष्ट्रीय विद्यापीठों की डिग्री, डिप्लोमाओं का बाहरी जगत में कुछ भी आदर नहीं था। इस कारण छात्रगण राष्ट्रीय विद्यालयों को छोड़कर फिर से अपने पुराने स्कूल और कालेजोंमें वापस आये। अूपरी तौरसे मालूम होता है कि अिस आन्दोलन का शिक्षा पर कुछ भी असर नहीं हुआ। पर यह सरासर भूल है। अिसी आन्दोलन के कारण, मातृभाषा द्वारा शिक्षा पाने की माँग बढ़ी और हमारे पाठ्यक्रम में अिस देश के अितिहास, संस्कृति और भाषाओं को अुचित स्थान मिला। लोगों ने देखा कि अब केवल किताबी कीड़े बनने से काम न चलेगा, वरन अुद्योग और धन्धे सीखने की सख्त जरूरत है। हमारी बहनें, जो शिक्षा में अितनी पिछड़ी हुई थीं, आगे बढ़ीं और दिन प्रतिदिन स्त्रीशिक्षा का आदर बढ़ने लगा। हरअेक भारतवासी अनुभव करने लगा कि सार्वजनिक शिक्षा के विना अिस देश की अुन्नति असम्भव है।

युनिवर्सिटी शिक्षा

सेडलर कमीशन रिपोर्ट के निकलते ही, युनिवर्सिटी शिक्षामें बहुतसे अछेस्वयोग्य परिवर्तन हुअे । पुराने विश्वविद्यालयों ने अपनी काया पलट दी । प्रायः सभी विद्यापीठों ने पोस्ट ग्रेजुएट कक्षायें खोलीं और गवेषणा की ओर विशेष ध्यान दिया । बहुतसे तत्स्थानीय विद्यापीठ भी खुल गये, और पाठ्यक्रम में नये विषयों का समावेश हुआ । विद्यार्थियों की शारीरिक अन्नति की ओर भी ध्यान आकर्षित हुआ ।

आज भारत में २३ विश्वविद्यालय हैं । ये प्रायः दो प्रकार के हैं :— (अ) संयोजक (Affiliating), और (ब) तत्स्थानीय (Unitary) पहिले प्रकार के विश्वविद्यालय के मातहत बहुतसे कालेज होते हैं जो कि विस्तृत क्षेत्र में फैले हुये रहते हैं । दूसरे प्रकार के विश्वविद्यालय अध्यापन का काम स्वयं करते हैं और अन्य स्थानके कालेजों से अनुका कोअी सरोकार नहीं रहता ।

मुख्य संयोजक विश्वविद्यालय ये हैं : कलकत्ता (१८५७), बम्बई (१८५७), मद्रास (१८५७), लाहोर (१८८२), पटना (१९१७), नागपुर (१९२३), आन्ध्र (१९२६), आगरा (१९२७), अत्कल (१९४३), सागर (१९४६), राजपूताना (१९४७), सिन्ध (१९४७), और पूर्व पंजाब (१९४७) । द्वितीय प्रकार के विश्वविद्यालय ये हैं : बनारस (१९१६), मैसूर (१९१६), निजाम हैद्राबाद (१९१८), अलीगढ़ (१९२०), लखनऊ (१९२०), अलाहाबाद (१९२२ पुनःसंगठित), दिल्ली (१९२२), ढाका (१९२२), अन्नामलाय (१९२९) और त्रावणकोर (१९३७) ।

अिनके सिवा पूना और गौहाटी (आसाम) में शीघ्रही नअी युनिवर्सिटीयाँ खुलनेवाली हैं । अहमदाबाद, बड़ौदा, बेलगाँव, अुदयपुर, ग्वालियर, कानपुर अित्यादि बड़े शहरों में, नये विद्यापीठों की माँग

है। यों तो इस देश में नयी युनिवर्सिटियों के लिये काफी गुञ्जाओश है। पर हमें बेधड़क जहाँ तहाँ विश्वविद्यालय स्थापित नहीं करने चाहिये। नये विश्वविद्यालय केवल अउन्हीं जगहों में खोले जायँ, जहाँ अउनकी माँग और सञ्ची जरूरत हो और जहाँ पैसे का अभाव न हो। असके लिये हमें सोच समझकर काम करना चाहिये। नवीन विश्वविद्यालय अैसे होवें जो व्यापार, अुद्योग, कृषि और भारतीय संस्कृति की वृद्धि कर सकें।

विविध युनिवर्सिटियों के कार्य में अुचित सम्बन्ध लाने के लिये १९२५ अी० में बँगलोर में अेक आन्तर्जातीय विश्वविद्यालय समिति (Inter University Board) स्थापित की गयी। अस समितिकी बैठक प्रति वर्ष भारतवर्ष के भिन्न भिन्न युनिवर्सिटी केंद्रों में होती है। अुच्च शिक्षा के जटिल प्रश्नों पर यह पूर्णतः विचार करती है। हाल ही में केन्द्रिय सरकार ने दिल्ली, अलीगढ़ और बनारस युनिवर्सिटियों के लिये अेक नवीन कमेटी (University Grants Committee) स्थापित की है। अस कमेटीका प्रधान अुद्देश्य है अिन विश्वविद्यालयों की भावी अुन्नति और आर्थिक समस्याओं पर विचार करना। प्रायः सभी युनिवर्सिटियाँ अस कमेटी में मिल गयी हैं।

सेडलर कमीशन के मतानुसार, कयी प्रदेशों ने मैट्रिक और अिण्टरमिडियेट परीक्षाओं का कार्य चलाने के लिये बोर्ड स्थापित किये हैं। ये बोर्ड हैं: अलाहाबाद में संयुक्त प्रान्तके लिये, ढाका में पूर्व बंगाल के लिये, और अजमेर में राजपूताना और मध्य हिन्दुस्तान के लिये। मध्यप्रदेश में केवल मैट्रिकयुलेशन परीक्षा के लिये अेक बोर्ड (High School Education Board) है।

यह अवश्य मानना पड़ेगा की हमारी युनिवर्सिटी-शिक्षा में बहुतसी त्रुटियाँ हैं। अनेक अयोग्य विद्यार्थी अुच्च शिक्षा पाने पहुंच जाते हैं, शिक्षा का ध्येय छात्रगणों को परीक्षा दिलाकर केवल नौकरी के लिये

तैयार करना रह गया है। अचित्त शिक्षा नहीं दी जाती, गवेषणा-कार्य ठीक परिमाण में नहीं होता, अित्यादि—अित्यादि। अिन अैबों को दूर करने के लिये आजकल काफ़ी चेष्टा हो रही है। पर न हम उच्च शिक्षा की प्रगति को रोक सकते हैं और न हमें उसे रोकना चाहिये। भारत शिक्षा में बहुत पिछड़ा है, और देशमें जरूरत है उच्च शिक्षित जनसमुदाय की।

माध्यमिक शिक्षा

अन्न ज़रा नजर डालिये माध्यमिक शिक्षा की ओर। अिस काल में माध्यमिक शिक्षा का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। १९१७ अी० में सिर्फ ७,६६३ माध्यमिक विद्यालय थे और छात्रसंख्या ११,८६,३३५ थी। पच्चीस वर्ष बाद शालाओं की संख्या १५,१६७ और छात्रसंख्या २७, ८४, ७८५ पहुँच गयी।

अिस विस्तार के साथ साथ और भी कअी विषयों में विशेष अुन्नति हुई। प्रथमतः, सबने अेक मत से स्वीकार किया कि माध्यमिक शालाओं की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिये। अिसका फल यह हुआ कि सारे देश में माध्यमिक शिक्षा बहुतायत से मातृभाषा द्वारा दी जा रही है। द्वितीयतः, मैट्रिक पाठ्यक्रम का बहुत कुछ सुधार हुआ है और नये विषयों का समावेश हुआ है। तृतीयतः, ट्रेण्ड शिक्षकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

पर अितना होते हुअे भी, माध्यमिक शिक्षा से आज कोई भी सन्तुष्ट नहीं है। अिसके कअी कारण हैं। पहिले तो हमारी माध्यमिक शालाओं विद्यार्थियों को जीवन-संग्राम के लिये तैयार करने के बदले आर्टस् या साइन्स कालेजों में शिक्षा पाने के लिये प्रस्तुत करती हैं। दूसरी बात हम यह देखते हैं कि सारे देश में प्रायः अेक ही प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। यह शिक्षा भिन्न भिन्न छात्रों की आवश्यकता की ओर ध्यान नहीं देती। पाठ्यक्रम शास्त्रीय विषयों से परिपूर्ण है। अुद्योग

और धन्धे सिखाने का विशेष कोअी प्रबन्ध नहीं है। अिसके सिवा, छात्रों के चरित्र-गठन की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता।

यह मानना ही पड़ेगा कि आधुनिक माध्यमिक शिक्षा-प्रणाली विशेष संकीर्ण है। पाठ्यक्रम में अुद्योग, धन्धे, कृषिविद्या जैसे विषयों का विशेष स्थान रहना चाहिये, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार किसी भी विषय का ठीक अभ्यास कर सके। जब तक छात्रों को अुचित शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक अुनके मस्तिष्क का पूर्ण विकास होना असम्भव है।

नये विषयों के समावेश के साथसाथ हमें विद्यार्थियों के भविष्यजीवन की आवश्यकताओं की ओर पूर्ण रीति से ध्यान देना चाहिये। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को अपयुक्त नागरिक बनाना। पर हमारी माध्यमिक शालाओं का अेक मात्र ध्येय है छात्रों को आर्ट्स तथा साईन्स कालेज की शिक्षाके लिये तैयार करना। पर यह अेक बड़ी भारी भूल है। अवश्य, कुछ विद्यार्थियोंको कालेजों (आर्ट्स तथा साईन्स) में भर्ती होना पड़ेगा, पर बहुतसों को मैट्रिक परीक्षा के बाद जीवन-संग्राममें अुतरना पड़ता है। अिसके सिवाय, कुछ विद्यार्थी अुद्योग वा धन्धे सीखना चाहते हैं। पर हमारी माध्यमिक शालाओं में, अिस प्रकार की शिक्षा का ठीक बन्दोबस्त नहीं है। हमें ख्याल रखना चाहिये कि माध्यमिक शिक्षा छात्रजीवन का अेक विशिष्ट अध्याय है। अिस अध्याय की शिक्षा कभी अधूरी नहीं रहनी चाहिये। वह अैसी होनी चाहिये कि वह प्रत्येक विद्यार्थी को भविष्यजीवन के लिये पूर्णतः तैयार कर सके।

यह भी सत्य है कि हमारी माध्यमिक शालाअें विद्यार्थियों के चरित्र-गठन पर कुछ भी ध्यान नहीं देती। हमारी शालाओं में, धार्मिक और नैतिक शिक्षा का बिलकुल अभाव है। शारीरिक शिक्षा पर बहुधा कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता। बहुत से स्कूल सङ्कीर्ण मकानों

में लगते हैं। स्थानाभाव के कारण, खेल कूद का कुछ भी प्रबन्ध नहीं रहता।

सार अर्थ यह है कि हमारे भावी नागरिकों की शिक्षा कुछ अनिनीगिनी पाठ्य पुस्तकोंको धोटेने के सिवा और कुछ भी नहीं है। यह शिक्षा गला धोटेने के समान है। परमेस्वर इस देश को शीघ्र ही इस शिक्षा से बचावें !

जन-शिक्षा

अंग्रेजी भारत में शिक्षा के विस्तार का अनुमान हम इसीसे कर सकते हैं कि आज ८८ प्रतिशत भारतवासी अनपढ़ हैं। यह है हमारी भूतपूर्व सरकार की शिक्षा के प्रति अुदासीनता का ज्वलन्त दृष्टान्त। जनसाधारण को शिक्षित करने के लिये, अंग्रेज सरकार ने न कुछ किया और न अुस विषय पर कुछ सोचा।

वर्तमान युग में, जिस बीज को माननीय गोखले ने बोया था वह शीघ्र ही अङ्कुरित हो पौधे के रूप में परिणत हो गया। पर वह पौधा न सींचा गया, और न अुसमें खाद दिया गया। अनिनीगिनी जो शाखाएँ निकलीं, वे भी नष्ट की गयीं। फलस्वरूप वह पौधा ठीक तरह से बढ़ न पाया।

श्रीयुत गोखले के कार्य को स्वर्गवासी विठ्ठलभाई पटेल ने अपने हाथमें लिया। अुनकी ही चिन्ता से १९१८ आी० में बम्बई प्रायमरी अेजुकेशन अैक्ट बना। इस कानून के अनुसार, बम्बई क्षेत्र की म्युनिसीपालिटियों को अनिवार्य प्रायमरी शिक्षा प्रसार करने का बहुत कुछ अधिकार मिला। इस कानून के बनने के बाद, दूसरे प्रदेशोंमें भी घड़ाघड़ वैसेही कानून बन गये।

अे अैक्ट प्रायः अेकसे हैं। प्रायमरी शिक्षा का सम्पूर्ण भार म्युनिसीपालिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को सौंपा गया। अुनका कर्तव्य है कि वे अपनी

सीमा की जरूरतों का अच्छी तरह अध्ययन कर, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा फैलाने का अचित्त आयोजन करें। पर ऐसी स्कीम एक विशेष सभा में दो-तृतीयांश सभासदों की सम्मति से पास होनी चाहिये। जिसके पश्चात्, प्रान्तीय सरकार की मन्जूरी लेना भी जरूरी है। स्वर्चा चलाने के लिये, प्रत्येक म्युनिसिपालिटी तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को एक शिक्षकीय टेक्स लगाने का अधिकार है तथा प्रान्तीय सरकार भी कुछ ग्राण्ट देती है।

अनिवार्य शिक्षा ६ से १० वर्ष तक की उम्र के बालकों के लिये है। कुछ जगहोंमें, यह लड़कियों के लिये भी लागू है। बच्चों को प्रायः मुफ्त शिक्षा मिलती है। जो अभिभावक इस कायदे का अलंघन करते हैं उन्हें दण्ड दिया जाता है।

पर अितना सब होते हुये भी, प्रायमरी शिक्षा का कुछ अुल्लेखयोग्य विस्तार नहीं हुआ। अँग्रेजी भारत (१९४४-४५) में अनिवार्य शिक्षा सिर्फ २०८ शहरों और १५, ३६१ गाँवों में चालू थी।

साराँश, यह आन्दोलन विशेष सफलीभूत नहीं हुआ। कारण स्पष्ट हैं। पहिले तो, अनिवार्य शिक्षा के कायदे ठीक नहीं लगाये गये। न कोअी अभी तक दण्डित हुआ, और न बच्चों को स्कूलों में लाने का कुछ विशेष प्रयत्न ही किया गया। दूसरे, म्युनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों ने अपना कार्य ठीक रीति से नहीं किया। मेम्बरों को आपस के झगड़ों से फुरसत नहीं मिलती, इसलिये शिक्षा का काम परमेस्वर के भरोसे छोड़ दिया जाता है। तीसरे, पाठ्यक्रम पुस्तकीय विद्या से भरा हुआ है। अुसमें संशोधन करने की बहुत जरूरत है, पर इस कार्य को करना सरल नहीं है।

पर सबसे अडचन की बात है अर्थाभाव। सारे भारत में १० करोड़ रुपया भी प्राथमिक शिक्षा पर खर्च नहीं होता। इस विशाल देश के

लिये यह छोटीसी रकम अँट के मुँह में जीरे के समान है। अर्थाभाव के कारण न उचित प्रमाण में शिक्षक नियुक्त किये जा सकते हैं, और न उन्हें ठीक वेतन ही मिल सकता है। निरीक्षण वा स्कूलगृह बनाने के लिये भी पैसे की जरूरत है। जिसके सिवा हमारा देश दरिद्र है। अक साधारण पिता अपने बच्चे का यथाविधि प्रतिपालन भी नहीं कर सकता। बच्चों को अपने ही पेट के लिये कमाना पड़ता है। जिस कारण न वह स्वयं स्कूल जा सकता है, और न उसका पिता उसे वहाँ भेजना चाहता है।

आज हमें बद्धपरिकर होकर अिन समस्याओं को हल करने की चेष्टा करनी चाहिये। शिक्षा-प्रणाली बदलने की काफ़ी कोशिश की जा रही है। हरअक बच्चे को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा देना प्रत्येक सभ्य देश का कर्तव्य है। स्वाधीन भारत इस कर्तव्य को निवाहने की भरसक कोशिश करेगा, ऐसी आशा है।

जिसके सिवा हमें सोचना पड़ेगा ३५ करोड़ अनपढ़ प्रौढ़ोंकी शिक्षा के विषय में। चंद अिनीगिनी रात्रिशालाओं के सिवा, उन्हें पढ़ाने का कुछ भी बन्दोबस्त नहीं है। आशा की जाती है कि स्वाधीन भारत में स्वर्च का बन्दोबस्त धीरे धीरे हो सकेगा। पर आज इस देश में सबसे ज़्यादा जरूरत है कार्यकर्त्ताओं की।

नाना प्रकार की स्कीमें सुनने में आती ह। वक्तागण गला फाड़फाड़कर चक्वृता दे रहे हैं। पर कार्यक्षेत्र में कोअी भी नहीं अुतरता। यथार्थ काम केवल लेक्चरबाजी से नहीं हो सकता। जो देखो वही मार्गप्रदर्शक बनना चाहता है, पर काम करने के समय अुनका दर्शन भी दुर्लभ हो जाता है। नेपथ्य से अुनकी धीमी आवाज कुछ कुछ सुनाई देती है।

आज प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है कि वह कमर कसकर इस देश से अशिक्षा को दूर करने के लिये तैयार हो जावे। विद्यादान के

समान को भी दूसरा धर्म नहीं है, इसलिये इस पुण्य कार्य में सबको हाथ बैटाना चाहिये। चाहे कोसी करोड़पति या कितनाही अच्च पदाधिकारी क्यों न हो, उसे भी इस कार्य से छुट्टी नहीं मिलनी चाहिये। इसके विना, अशिद्धारूपी तिमिर का नाश इस देश से नहीं हो सकता।

सातवाँ अध्याय

संशोधन की चेष्टाएँ

पर यह मानना ही पड़ेगा कि गत बीस वर्ष से, हमारे देश की शिक्षा के सुधार के लिये अनेक चेष्टाएँ हो रही हैं। देश के हरअेक भाग में शिक्षा सम्बन्धी कमेटियाँ बिठलायी गयी हैं। अिन सब कमेटियों की सिफारिशों का वर्णन स्थानाभाव के कारण यहाँ देना असम्भव है। कुछ चुनिन्दा रिपोर्टों का सारांश यहाँ दिया जाता है।

हार्टग कमेटी (१९२९ आ०)

१९२९ आ० में इस देश में आयोजित साईमन कमीशन की बैठक के समयही शिक्षा सम्बन्धी बातों पर विचार करने के लिये अेक और कमेटी नियुक्त की गयी। इस कमेटी के प्रधान थे ढाका विश्वविद्यालय के वाआस-चैन्सलर सर फिलिफ़ हार्टग।

कमेटी की रिपोर्ट १९२२ साल के सितम्बर माह में प्रकाशित हुयी, इस रिपोर्ट में स्वीकार किया गया कि १९१९ साल के पश्चात् भारत में शिक्षा का विस्तार सन्तोषजनक हुआ है पर भविष्य में विशेष सावधानी की जरूरत है।

भारत कृषिप्रधान देश है जिसलिये गाँवों में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के मार्ग में अनेक रुकावटें हैं : स्कूल खोलना मुश्किल है; शिक्षक-गण वहाँ जाना नहीं चाहते; रास्तों का नामनिशान नहीं है; बीमारी का प्रकोप प्रायः रहा करता है; और जनता गरीबी से पिंसी जा रही है। कमेटीने यह भी बताया कि डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्ड अपना काम ठीक नहीं कर रहे हैं। जहाँ तहाँ, विना जाँचे स्कूल खोल दिये गये हैं; पढ़ाई सन्तोषजनक नहीं है; स्कूलों का निरीक्षण ठीक नहीं होता है; शिक्षणप्रणाली निकम्मी है; जहाँ तहाँ भिन्नभिन्न धर्मों और प्रचलित भाषाओं के लिये अलग अलग स्कूलों की माँग है।

शिक्षा का पूर्ण फल तबतक नहीं मिलता जबतक कि प्रत्येक विद्यार्थी प्रायमरी चौथा वर्ग पास न करे। पर अनुसन्धान करने पर पता लगता है कि अंग्रेजी भारत में केवल १८ प्रतिशत पहिली कक्षा से चौथी कक्षा में पहुँचते हैं। यह है शिक्षा की बरबादी (wastage)। दूसरा दोष है शिक्षा में मठरपना (Stagnation)। जिसका प्रतिफल है बच्चों का परीक्षा में फेल होकर उसी कक्षा में अनेक वर्षतक पड़े रहना।

जनशिक्षा फैलाने के लिये, कमेटी ने बताया कि प्राथमिक शालाओं सोच-विचारकर जहाँ जरूरत हो वहीं खोली जावें, योग्य शिक्षक नियुक्त किये जावें, और निरीक्षण कार्य ठीक रीति से किया जावे। जिसके सिवा जरूरत है प्रौढ़शिक्षा का विस्तार करने की और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के कायदों को ठीक तरह अमल में लाने की।

माध्यमिक शालाओं में विविध प्रकार की पाठ्यप्रणाली की आवश्यकता है, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार अभ्यास कर सके। विश्वविद्यालय की शिक्षा, योग्य विद्यार्थियों के सिवा किसी को न दी जावे। आनर्स कोर्स कुछ चुनिन्दे कालेजों में पढ़ाया जावे, और ट्यूटोरियल कार्य का अचित प्रबन्ध किया जावे।

‘स्त्रीशिक्षा’ औनों से भरी पढ़ी है। लड़के और लड़कियों के पाठ्यक्रम में कुछ भी भेद नहीं है। स्त्रीशिक्षा लड़कियों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखे। जहाँतक बन सके लड़कियों के स्कूलों में केवल पाठिका लगायी जावे।

हार्टग कमेटी की सिफारिशों के फलस्वरूप केन्द्रीय सलाहकारी शिक्षा परिषद की १९३५ आी० में फिर से स्थापना हुआ।

अन्य कमेटियाँ (१९३०-३५ आी०)

हमारी शिक्षा की त्रुटियाँ जनसाधारण का भी ध्यान आकर्षित करने लगीं। सब ने देखा कि इस देश की तालीम शिक्षित नवयुवकों को जीवन-संग्राम के लिये बिलकुल तैयार नहीं करती जिसके फल-स्वरूप शिक्षित समाज में बेकारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है।

असका प्रतिकार करने के लिये १९३० से ३५ आी० के बीच बहुतसी कमेटियाँ नियुक्त की गयीं, जिनमें से मुख्य ये हैं : पंजाब विश्वविद्यालय तहकीकात कमेटी, सप्रू कमेटी, जोशी कमेटी, अित्यादि। आन्तर-विश्वविद्यालय समिति और केन्द्रीय सलाहकारी शिक्षा-परिषद ने भी अस जटिल प्रश्न पर विचार किया।

अिन कमेटियों के सभासद भारत के बहुतसे अनुभवी विद्वान थे। सभी कमेटियों की सिफारिशें प्रायः अेकसी हैं। उनका कथन है कि बेकारी तभी दूर हो सकेगी जब कि हमारे स्कूल और कालेज विविध प्रकार की शिक्षा देवें। प्रायमरी स्कूलों से लेकर अिण्टरमिडियट परीक्षा तक के पाठ्यक्रम में अुन्होंने नाना प्रकार के विषयों का समावेश करने को कहा। अुनमें अुन्होंने अुद्योग और धन्धे सिखाने पर विशेष जोर दिया।

अन्त में केन्द्रीय सलाहकारी शिक्षा-परिषद् ने अंग्लैंड से दो प्रसिद्ध विद्वानों को इस गूढ़ प्रश्न पर विचार करने के लिये निमन्त्रण दिया। इन महानुभावों के नाम हैं श्री वुड और श्री अबट।

वुड-अबट रिपोर्ट (१९३७ आी०)

इन दोनों विद्वानों की सम्मिलित रिपोर्ट १९३७ आी. के जून महिने में निकली। रिपोर्ट के दो हिस्से हैं : (अ) साधारण शिक्षा (वुड साहब लिखित); और (आ) उद्योग शिक्षा (अबट साहब लिखित)।

पहिला भाग—प्राथमिकी शालाओं की शिक्षा केवल पुस्तकों द्वारा ही न दी जावे, वरन् सृजनात्मक क्रियाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जावे। जहाँ तक हो सके, प्राथमिकी शालाओं में पाठिकां लगाई जावें। ग्राम्य विद्यालयों पर गौर करते हुये वुड साहब ने कहा कि ग्राम-अनुद्धार इन स्कूलों का प्रधान कर्तव्य होना चाहिये। माध्यमिक शालाओं में अँग्रेजी की ओर आवश्यकता से अधिक ध्यान देना अुचित नहीं है। अँग्रेजी का साधारण ज्ञान सबके लिये यथेष्ट होगा। अच्छे विद्यार्थियों के लिये अेक अुन्नत कोर्स का बन्दोबस्त किया जावे। वुड साहब ने यह भी बतलाया कि भारत के हाईस्कूल कालेज की कोठरी के समान हैं, क्योंकि वे अपनी पढ़ाई में कालेज की जरूरतों की ओर विशेष ध्यान देते हैं। प्रत्येक स्कूल में दस्तकारी सिखाने का बन्दोबस्त होना चाहिये। शारीरिक अुन्नति के लिये खेल के मैदानों का विशेष प्रबन्ध करना चाहिये।

द्वितीय भाग—अबट साहबने गौर किया कि भारत के समान देश में, जहाँ कि व्यवसाय-उद्योग हाल ही में फैल रहे हैं, कोअी भी स्कीम तैयार करना अत्यन्त कठिन है। पर कोअी भी स्कीम तभी सफल हो सकेगी जब कि वह देश की माँगों का पूरापूरा ध्यान रखे। श्री अबट ने यह भी कहा कि जनता का ख्याल है कि औद्योगिक विद्या पुस्तकीय

विद्या से निकृष्ट है और वह केवल अुन्हीं के लिये है जो कि पढ़ने-लिखने में अच्छे नहीं हैं। पर यह विचार अेकदम गलत है। मनुष्य औद्योगिक विद्या से तभी लाभ अुठा सकता है, जब कि अुसे कुछ न कुछ साधारण शिक्षा मिल चुकी हो।

अुद्योग और धन्धों में तीन प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है : (१) मैनेजर और डायरेक्टर; (२) सुपरवाइजर (Chargerhand, foremen etc.) और (३) मज़दूर और शिल्पकार।

पहिले प्रकार के व्यक्तियों के लिये, भारत में काफ़ी कालेज हैं और वे फैल सकते हैं। आवश्यकतानुसार अुन्हें विदेशमें भेजना चाहिये। श्री अेबट ने साफ साफ बताया कि दूसरे और तीसरे प्रकार के कर्मचारियों को यथोचित शिक्षा देने के लिये अुपयुक्त शिक्षा-प्रतिष्ठानों की अिस देश में बड़ी कमी है।

सुपरवाइजरों के लिये अेबट साहिब ने सीनियर और जुनियर औद्योगिक शालायें खोलने के लिये कहा। पहिले का कोर्स (मैट्रिक के बाद) दो या तीन वर्ष तक और दूसरे का कोर्स (मिडिल के बाद) तीन वर्ष तक। शिल्पियों के लिये एप्रेन्टिस स्कूल (द्वितीय वर्ग के बाद) अुपयुक्त समझा गया।

श्री अेबट ने अर्धकालीन स्कूल खोलना बहुत ज़रूरी समझा, ताकि कर्मचारीगण अुनसे पूरा लाभ अुठा सके। शिल्पकला की अुन्नति के लिये आर्ट स्कूल खोलने पर विशेष जोर दिया गया।

वर्धा-योजना

पर यह न सोचना चाहिये कि हमारे नेतागण चुप्पी साधे बैठे थे। १९३७ अी० के जुलाअी महिने से ही गान्धीजी ने 'हरिजन' पत्रिका में शिक्षा के विषय में कअीलैख लिखे। अुसी साल प्रथम अखिल भारतीय

राष्ट्रीय शिक्षा-सम्मेलन वर्षा में हुआ। इस सम्मेलन में गान्धीजी के नेतृत्व में, निम्न प्रस्ताव पास हुए :

(१) इस सम्मेलन की रायमें देश के सब बच्चों के लिये सात बरस की मुफ्त और लाजिमी तालीम का अन्तजाम होना चाहिये ।

(२) तालीम मातृभाषा के द्वारा दी जानी चाहिये ।

(३) यह सम्मेलन महात्मा गांधी की इस तजवीज का समर्थन करता है कि इस तमाम मुद्दत में शिक्षा का मध्यबिन्दु किसी किस्म की उत्पादक दस्तकारी होना चाहिये, और बच्चों में जो दूसरे गुण पैदा करने हैं, और उनको जो शिक्षा-दीक्षा देनी है, उसका सम्बन्ध, जहाँतक हो सके, इसी केन्द्रीय दस्तकारी से होना चाहिये, और इस दस्तकारी का चुनाव बच्चों का वातावरण और स्थानीय परिस्थिति को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए ।

(४) सम्मेलन आशा करता है कि तालीम के इस तरीके से धीरे धीरे अध्यापकों की तनख्वाह का खर्च निकल आयेगा ।

सम्मेलन ने फिर दिल्ली की जामिया मिलिया के प्राचार्य डाक्टर जाकिर हुसैन के नेतृत्व में एक कमेटी मुकरर की। इस कमेटी की रिपोर्ट दिसम्बर १९३७ में निकली। १९३८ आ० की हरिपुरा कांग्रेस ने इस रिपोर्ट की सिफारिशों को मंजूर किया और वर्षा के पास सेवाग्राम में हिंदुस्तानी तालिमी संघ स्थापित किया। चूँकि इस रिपोर्ट का सम्बन्ध वर्षा से था इसलिये यह स्कीम 'वर्षाशिक्षा योजना' के नाम से प्रसिद्ध है।

इस योजना की मुख्य बातें ये हैं (अ) सारी शिक्षा का मध्यबिन्दु एक केन्द्रीय दस्तकारी है। तमाम पढ़ाई इस विषय के द्वारा होनी चाहिये। (आ) योजना स्वावलम्बी है। वह विद्यार्थियों को अपने भविष्य-जीवन में अपने पाँवपर खड़ा होना सिखाती है, और शिक्षकों की

तनख्वाह निकालने की कोशिश करती है। (अि) हाथ के काम पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि कोअी विद्यार्थी शारीरिक परिश्रम से न ढरे। (अी) योजना अहिंसात्मक है, क्योंकि विद्यार्थियों को मशीनों द्वारा दूसरों की रोट्टी छिनना नहीं सिखाया जाता है। (अु) तालीम बच्चों के वातावरण और स्थानीय परिस्थिति का विशेष ख्याल रखती है। (अू) योजना प्रत्येक विद्यार्थी को अपने भविष्य-जीवन में अपयुक्त नागरिक बनाने की कोशिश करती है।

वर्धा-योजना का मुख्य ध्येय अिस देश के हर अेक बच्चे को सात साल की (७-१४) मुफ्त और लाजिमी तालीम देना है। पाठ्यक्रम का मान (standard), अँग्रेजी को छोड़कर, वर्तमान मैट्रिक के समान है। प्रायः सभी मुख्य विषयों (१५) के पढ़ानेका बन्दोबस्त है। अँग्रेजी के बदले हिन्दुस्तानी सीखना जरूरी है।

जाकिर हुसैन रिपोर्ट के निकलते ही, काँग्रेस-प्रदेशों में वर्धा योजना अेकदम अमल में लाअी गअी, शिक्षकों और निरीक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिये बुनियादी ट्रेनिंग केन्द्र स्थापित किये गये। रक्षित राज्यों में, काश्मीर ने अच्छा काम किया। कुछ राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों ने (जैसे अिदली की जामिया मिलिया, गुजरात विद्यापीठ, तिलक विद्यापीठ, आन्ध्र जातीय कलाशाला) अपनी निजी बुनियादी शालाअें चलाअीं। पर अिनमें द्वितीय विश्व-युद्ध के आरम्भ होने पर शिथिलता आ गअी थी। तो भी भारतके स्वाधीन होने के साथ साथ, बुनियादी शिक्षा में फिर से तेजी आ गअी है। अिस थोड़े से अरसे में, केवल संयुक्त प्रान्त में तीन सौ से ज़्यादा बुनियादी स्कूल स्थापित हुये हैं।

अितना होते हुए भी, शिक्षित समाज ने इस योजना की नुक्ता-चीनी की। उसकी राय के अनुसार प्रथमतः, किसी भी शिक्षा-पद्धति का स्वावलम्बी होना कठिन है। यह सच है कि शिक्षा के साथ साथ पैसा

कमाना नहीं बनता। जिस के अन्तर में केवल अतना ही कहना बस होगा कि गान्धीजी ने देखा कि ७ से १४ साल के बच्चोंको मुफ्त शिक्षा देने के लिये यथेष्ट पैसे की जरूरत है और यह अर्थ विदेशी सरकार से मिलना असम्भव है। तब उन्होंने ऐसी योजना निकाली जिससे कुछ पैसा मिल सके। उनका ध्येय यह नहीं था कि पैसा कमाने के लिये शिक्षक-गण बच्चों का खून चूसें।

दुसरी आपत्ति यह उठायी गयी कि, सब विषयों का पूरा पूरा ज्ञान केन्द्रीय दस्तकारी के द्वारा देना असम्भव है। जिसका जवाब यह है, 'जितना सिखाया जा सकता है अतनाही सिखाओ। बाकी अलग से पढ़ाओ।' यह भी कहा जाता है कि दैनिक समय-चक्र के अनुसार ५ ३/४ घण्टों में से ३ ३/४ घण्टे केन्द्रीय दस्तकारी सिखाते-सिखाते बच्चे और शिक्षक दोनों थक जाते हैं। यह सच है। पर चतुर शिक्षक वही है जो कि समय का ठीक व्यवहार करता है। न वह खुद थकता है, और न विद्यार्थियोंको ही थकने देता है।

सार अर्थ यह है कि शिक्षा प्रगतिशील है और दुनिया में किसी भी वस्तु की अन्तिम स्थिति नहीं पहुँची है। वर्धा-योजना सिर्फ ११ वर्ष की बच्ची है। आगे के पन्नों में पाठक देखेंगे कि उसमें कैसे परिवर्तन हुये हैं। जिस योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जब भारत पैसे के अभाव के कारण अनिवार्य, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा के विषय में कुछ भी नहीं कर सक रहा था, तब गान्धीजी ने एक रास्ता बताया। जब देश पुस्तकीय विद्या से थक गया था, तब वर्धा-योजना ने उत्पादक दस्तकारी के द्वारा तालीम देने की जरूरत बतलायी। जिस समय विद्वान लोग कह रहे थे कि बच्चोंको काम के जरिये विद्या सीखनी चाहिये, ठीक उसी समय गान्धीजी ने यह तरीका बतलायी।

खेर कमेटिया

वर्धा-योजना पर विचार करने के लिये, केन्द्रीय सलाहकारी शिक्षा-परिषद् ने बम्बई के बड़े वजीर श्रीयुत खेर के मातहत दो बार कमेटियाँ मुकर्रर कीं। पहली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट १९३८ आी० में, और दूसरी ने अपनी रिपोर्ट १९४० आी० में प्रकाशित की।

प्रथम कमेटी की रिपोर्ट का सार यह है: (अ) बुनियादी शिक्षा पहिले गाँवों में शुरू की जावे। (ब) ६ से १४ वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को, यह शिक्षा दी जावे; यहाँ तक कि ५ साल के बच्चों को भी यह शिक्षा मिलने में कोअी बाधा न डाली जावे (क) भारत के लिये अेक राष्ट्रभाषा की जरूरत है। यह है हिन्दुस्तानी। यह भाषा अुर्दू या देवनागरी अक्षरों में सिखाई जावे। (ड) पाँचवी कक्षा के बाद, याने ११ साल की अुमर में, बच्चों को बुनियादी स्कूल छोड़कर दूसरे प्रकार के स्कूलों में जाने की सुविधा रहे। (अि) दूसरे विषयों के वे हिस्से जो केन्द्रीय दस्तकारी द्वारा नहीं सिखाये जा सकते स्वतंत्र रीति से पढ़ाये जावें। (आी) शिक्षकों को कमसे कम २० रु. मासिक वेतन मिलना चाहिये।

द्वितीय कमेटी की रिपोर्ट का सार यह है: (अ) ६ वर्ष से छोटे बच्चों के लिये बुनियादी तालीम के पहिले बाल-शिक्षा का बन्दोबस्त करना चाहिये। (ब) बुनियादी तालीम के ८ वर्ष के पाठ्यक्रम में अेक आदर्श होना चाहिये। तिसपर भी, अिस शिक्षाक्रम को दो भागों में बाँट देना चाहिये: (१) 'जूनियर बुनियादी'—६ से ११ साल के बच्चों के लिये; और (२) 'सीनियर बुनियादी'—१२ से १४ साल के बच्चों के लिये। (स) 'जूनियर बुनियादी' के बाद, विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार के स्कूल में तालीम मिलने की रोकटोक न होनी चाहिये। (ड) लड़कियों की शिक्षा के लिये, 'सीनियर बुनियादी' स्कूलों में

पाक-क्रिया, रजक-शिक्षा, सूची-कार्य, स्वास्थ्य-रक्षा, गृह-शिल्प सिखाने का बन्दोबस्त रहना चाहिये। ये विषय गृह-विज्ञान के जरिये सिखाये जावें।

सार्जेण्ट रिपोर्ट (१९४४ आ.)

खेर-कमेटियों की रिपोर्टों के निकलने पर, अिस देश की शिक्षा में अदल-बदल करने के लिये बहुत कुछ बहस हुआ। अन्तमें १९४३ आ० में, भारत सरकार ने तत्कालीन शिक्षा-सलाहकार (सर जान सार्जेण्ट) को अिस देशकी शिक्षा वृद्धि के लिये अेक स्कीम पेश करने को कहा। योजना १९४४ आ० में प्रकाशित हुआ। चूँकि सार्जेण्ट साहब का नाम अिससे संलग्न है, यह योजना सार्जेण्ट स्कीम के नामसे मशहूर हुई।

असल में यह रिपोर्ट कुछ स्वतंत्र रिपोर्ट नहीं है, वरन् केन्द्रीय सलाहकारी शिक्षा-परिषद द्वारा प्रकाशित चुनिन्दा रिपोर्ट का अेक समन्वय है। अिस रिपोर्ट ने बुनियादी शिक्षा के मूलमन्त्र को अपनाया है।

स्कीम का सारांश यह है : (अ) बाल-शिक्षा—३ से ६ वर्ष तक के बच्चों के लिये 'नर्सरी' स्कूल और क्लासों का विशेष बन्दोबस्त होना चाहिये। बच्चों को अिन शालाओं में भेजने के लिये पालकों को अुत्साहित किया जावे। (ब) प्राथमिक शिक्षा—अिस देश के ६ से १४ साल तक के हर अेक बच्च को मुफ्त शिक्षा दी जावे। खेर कमेटियों की सिफारिशों के अनुसार, अिस अवधि के दो भाग होने चाहिये, अर्थात् 'जूनियर' और 'सीनियर' (क) माध्यमिक शिक्षा—यह शिक्षा केवल चुने हुअे बच्चों को दी जावे। 'जूनियर बुनियादी' स्कूलों से सिर्फ २० प्रतिशत चुने हुये विद्यार्थी माध्यमिक शालाओं में जावें, और बाकी 'सीनियर बुनियादी' स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करें। पर हाअीस्कूलों की पढ़ाअी अेकही किस्म की न होनी चाहिये; इसलिये दो प्रकार के हाअीस्कूलों की

जरूरत है : (१) 'अकेडेमिक' हाथीस्कूल—जोकि केवल शास्त्रीय शिक्षा देवे; और (२) 'टेकनिकल' हाथीस्कूल—जोकि अद्योग और धन्धे सिखावे । (३) युनिवर्सिटी शिक्षा—यह भी केवल चुने हुये विद्यार्थियों को दी जावे (१५ में से सिर्फ अक मैट्रिक पास को) । अिण्टरमिडीयट परीक्षा बन्द कर दी जावे । उसके बदले मैट्रिक के बाद तीन वर्षीय डिग्री कोर्स स्थापित किया जावे । (४) शिक्षक—शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिये, अनेक ट्रेनिंग स्कूलों और कालेजों की जरूरत है । (५) अद्योग और धन्धे—अिस देश में अद्योग और धन्धे सिखाने के लिये नाना प्रकार की औद्योगिक शालायें और कालेज खोले जाव । (६) प्रौढ-शिक्षण—१४ से ४० वर्ष तक की आयु के प्रत्येक अनपढ़ व्यक्ति को साधारण शिक्षा मिलनी चाहिये ।

रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि अिस देश में शिक्षा का अुचित प्रबन्ध नहीं है । शिक्षा पुस्तकीय हो गयी है । उद्योग और धन्धे सिखाने का बन्दोबस्त नहीं है । अुच्च शिक्षा बहुतसे निकम्मे विद्यार्थियों को मिल रही है । वर्तमान युनिवर्सिटीयाँ सिर्फ परीक्षायें चलाती हैं और गवेषणा की ओर अुचित ध्यान नहीं देती हैं । शिक्षकों को ठीक वेतन नहीं मिलता है और प्रौढ शिक्षण का कुछ भी बन्दोबस्त नहीं है ।

साथही रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि अर्थाभाव के कारण अिस देश में शिक्षा का ठीक ठीक विस्तार नहीं हुआ । अिस रिपोर्ट की सब सिफारिशों को पूरी तरह अमल में लाने के लिये ४० वर्ष लगेगे और वार्षिक ३१३ करोड़ रुपया खर्च होगा ।

नयी तालीम (१९४५ आ.)

१९४५ आ० के जनवरी महिने में, द्वितीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा-सम्मेलन की बैठक वर्धा में हुयी जिसका मुख्य उद्देश्य था बुनियादी शिक्षा के विषय में तहकीकात करना ।

सम्मेलन ने वर्धा-योजना का नामकरण 'नयी तालीम' किया। इस तालीम के चार भाग किये गये: (अ) बुनियादी तालीम से पहिले की तालीम, (ब) बुनियादी तालीम, (स) बुनियादी तालीम से आगे की तालीम, और (ड) प्रौढ़-शिक्षण।

अस बैठक में यह भी स्थिर हुआ कि बाल-शिक्षा प्रणाली में खेल और क्रिया की ओर विशेष ध्यान दिया जावे। उत्तर-बुनियादी शिक्षा का मान बी. ए. परीक्षा के समान होना चाहिये, और प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य केवल साक्षरता ही नहीं वरन पूरी तालीम होना चाहिये। सम्मेलन ने यह भी स्थिर किया कि सयानों को तालीम किसी माकूल उद्योग-धन्धे के जरिये देनी चाहिये।

नैशनल प्लेनिंग कमेटी की रिपोर्ट (१९४८ आ०)

हाल ही में नैशनल प्लेनिंग कमेटी की शिक्षा-सब-कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित है। रिपोर्ट के दो भाग हैं: (अ) साधारण शिक्षा, और (ब) औद्योगिक शिक्षा।

सब-कमेटी की रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें ये हैं : (अ) इस देश के प्रत्येक बच्चे को ७ साल की उमर से १४ या १५ वर्ष की उमर तक मुफ्त बुनियादी शिक्षा दी जावे। सार्जेण्ट स्कीम के अनुसार यह शिक्षा 'जनियर' और 'सीनीयर' शालाओं में दी जावे। (ब) सात साल से छोटे बच्चों के लिये बाल-मन्दिर स्थापित किये जायं। (स) प्राथमिक शिक्षा के बाद चुने हुये बच्चों को माध्यमिक शालाओं में तालीम दी जावे। अिन स्कूलों का पाठ्यक्रम ३ से ४ वर्ष तक का होना चाहिये। पढ़ाई में कला और विज्ञान की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। (अ) बुनियादी स्कूलों के बाकी विद्यार्थियों की पढ़ाई का बन्दोबस्त औद्योगिक स्कूलों में करना चाहिये। यहाँ अन्हें नाना प्रकार के अुद्योग सिखाने चाहिये। व्यावहारिक ज्ञान के लिये, फैक्टरी या दूकानों के

ठीक बन्दोबस्त की जरूरत है। (ब) यूनिवर्सिटी शिक्षा—माध्यमिक शिक्षा समाप्त करने पर बच्चे यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। यहाँ नाना प्रकार की उच्च शिक्षा का बन्दोबस्त रहना चाहिये, जैसे (१) शिक्षा (२ से ३ वर्ष), (२) कानून, डाक्टरी अित्यादि दूसरी व्यवसायिक शिक्षा (३ से ५ वर्ष), (३) औद्योगिक शिक्षा (४ वर्ष का कोर्स), और (५) कला या विज्ञान (३ से ४ वर्ष)। पोस्ट ग्रेजुयेट शिक्षा अुच्च कोटि की होनी चाहिये।

हिन्द संघ की चेष्टाएँ

अभी कुछ ही महीने पहले हमें आजादी मिली है। पर अिस थोड़े से समय में हमारे नेतागण शिक्षा-सुधार की भरसक कोशिश कर रहे हैं।

गत जनवरी महीने में अखिल भारतीय शिक्षा-सम्मेलन के समय, शिक्षामन्त्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने स्पष्ट रूप से कहा, “शिक्षा-विस्तार के बिना भारत की अुन्नति नहीं हो सकती। स्वाधीन भारत अेक चालीस-वर्षीय योजना (सार्जेण्ट स्कीम) का समर्थन नहीं कर सकता।” अुन्होंने देश की शिक्षा की मुख्य समस्याओं को हल करने के लिये पाँच साल से ज़्यादा लगाना अुचित न समझा।

अुन्होंने बताया कि सिर्फ पंच-वर्षीय (६ से ११ वर्ष) अनिवार्य, सार्वजनीन प्राथमिक शिक्षा के लिये ६ लाख शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। अुन्होंने भारत के प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति से अपील की कि वह अिस राष्ट्रीय कार्य में हाथ बँटावे। मौलाना साहब ने फिर कहा कि जब तक प्रत्येक मैट्रिक शुदा अेक वर्ष, और ग्रेजुयेट दो वर्ष तक शिक्षक का काम न करे, तबतक अुन्हें सर्टिफिकेट न दिया जाय। अिस प्रकार शिक्षकों की कमी बहुत कुछ दूर हो सकती है।

सम्मेलन में प्रादेशिक शिक्षा-मन्त्रीगण, डी. पी. आजी. और वाईस चेन्सलरगण अुपस्थित थे। सबने अेक मत से स्वीकार किया कि हाल

में बुनियादी शिक्षा की अवधि घटाकर आठ से पाँच वर्ष कर दी जाय, और धीरे धीरे पुनः आठ वर्ष बढ़ाई जावे।

शिक्षा के मुख्य विषयों पर विचार करने के लिये मौलाना साहब ने अलग कमेटियाँ नियुक्त कीं। गत मई में, अिन कमेटियों की बैठक दिल्ली में हुई। चुनिन्दा कमेटियों की सिफारिशों का सारांश यहाँ दिया जाता है।

(१) यूनिवर्सिटी शिक्षा का माध्यम—अिस कमेटी ने कहा कि अगले पाँच वर्षतक यूनिवर्सिटी-शिक्षा का माध्यम अँग्रेजी रहने वाला है। अिस अवधि में, राष्ट्रीय या प्रादेशिक भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की चेष्टा करनी चाहिये।

(२) माध्यमिक शिक्षा—पाँच-वर्षीय जूनियर बुनियादी शिक्षा के बाद, तीन वर्षीय सीनियर बुनियादी या पूर्व-माध्यमिक शिक्षाक्रम होना चाहिये। माध्यमिक शिक्षा की अवधि चार वर्ष की हो और अुसमें वर्तमान अिण्टरमिडियेट कोर्स का समावेश किया जावे। जबतक अँग्रेजी भाषा यूनिवर्सिटी-शिक्षा का माध्यम रहेगा, तबतक माध्यमिक और पूर्व-माध्यमिक शिक्षाक्रम में अुस भाषा का सीखना जरूरी होगा।

(३) शारीरिक शिक्षा—अिस कमेटी ने केन्द्रीय सरकार की शारीरिक शिक्षा-संबंधी अेक स्कीम की जाँच की।

अिन रिपोर्टों से स्पष्ट होता है कि गत बीस वर्ष में शिक्षा की अुन्नति के लिये, अिस देश में बहुतसी कमेटियाँ नियुक्त हुईं, बहुत कुछ बहस हुई, पर फल कुछ ज़्यादा न निकला। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जिन प्रश्नों को हल करने के लिये हमें बरसों लग गये थे अुन्हें स्वाधीन भारत ने चुटकियों में तय कर लिया।

आठवाँ अध्याय

शिक्षा में विद्रोह

पहिले ही बतलाया जा चुका है कि गत शताब्दी के अन्तमें हमारे कहीं नेताओं ने देखा कि इस देश की शिक्षा-प्रणाली में बहुत कुछ हेरफेर की जरूरत है और अँग्रेजी शिक्षा हमारे भावी नागरिकों के उपयुक्त नहीं है।

बहुतसे नये शिक्षा-प्रतिष्ठान नये आदर्श लेकर स्थापित हुये। लोकमान्य तिलक, आगरकर और चिपलूनकर ने पूना में फर्गुसन कालेज खोला। १८८६ आ० में आर्यसमाज ने दयानन्द अँग्लो वैदिक कालेज, लाहोर, की नींव डाली। अँग्रेजी शिक्षा के सिवा, इस कालेज में वैदिक धर्म की भी शिक्षा दी जाने लगी। मुसलमानों के लिये, सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ कालेज की स्थापना की।

१९०१ आ० में स्वामी श्रद्धानन्दजी ने गुरुकुल काँगड़ी की नींव डाली और विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ने शान्तिनिकेतन की स्थापना की। इसके सिवा, रामकृष्ण मिशन, थियोसफिकल सोसाइटी, आर्यसमाज अित्यादि धार्मिक संस्थाओं ने अपने अपने स्कूल खोले। बंग-विच्छेद की चेष्टा के कारण अँग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध आग और भी भभक अुठी। देश के नवयुवकों को राष्ट्रीय शिक्षा देने के लिये कलकत्ते में राष्ट्रीय शिक्षा-परिषद स्थापित हुयी। और १९२० आ० से तो अँग्रेजी शिक्षा का खुल्लमखुल्ला विरोध होने लगा। गान्धीजी के नेतृत्वमें शिक्षा में हेरफेर करने की चेष्टाओं का हाल पहिले ही बतलाया जा चुका है।

अस प्रकार अस देश में अँग्रेजी शिक्षा का विरोध हुआ। असका पूरा पूरा हाल अस छोटी सी किताब में नहीं दिया जा सकता। यह स्पष्ट है कि अस विदेशी शिक्षा का विरोध हमारे देश के अनेक नेताओं और

विद्वानोंने किया। पहिले तो यह देखा गया कि इस देशकी अुन्नति अेक विदेशी शिक्षा पद्धति द्वारा नहीं हो सकती। यह अुन्नति केवल अुसी पद्धति द्वारा हो सकती है जो कि भारत की भाषाओं, संस्कृति, अितिहास और पूर्व सभ्यता का पूरा ध्यान रखे। देश के नवयुवकों का सम्पूर्ण विकास केवल अैसी ही शिक्षा कर सकती है। यह भी देखा गया कि अुचित शिक्षा सिर्फ मातृभाषा द्वारा ही दी जा सकती है, न कि अेक विजातीय भाषा द्वारा।

अिन कारणों से हमारी प्रचलित शिक्षा-प्रणाली में अवरश्य कुछ न कुछ हेर फेर हुआ। पर कुछ शिक्षा-प्रतिष्ठानों ने अपनी स्वतंत्रता पूर्णतः कायम रखी, और अँग्रेज सरकार से कुछ भी आर्थिक सहायता न माँगी। क्योंकि आर्थिक सहायता स्वीकार करने पर, अुन्हें अपनी स्वाधीनता को तिलाञ्जलि देनी पड़ती। पर धन्य हैं ये शिक्षा-प्रतिष्ठान जिन्होंने स्वाधीनता ही अपना मूलमंत्र रखा और कभी याचना न की !

स्थानाभाव के कारण, अिन सब संस्थाओं का वर्णन यहाँ नहीं दिया जा सकता। अतः केवल राष्ट्रीय विद्यापीठों का संक्षिप्त वर्णन दिया जाता है। अुनके नाम ये हैं : (अ) गुरुकुल काँगड़ी; (ब) श्रीमती नाथीबाअी ठाकरसी महिला विश्व-विद्यालय; (स) विश्व-भारती; (ड) विद्यापीठ और (इ) जामिया—मिलिया।

गुरुकुल काँगड़ी—पवित्र जान्हवी के तट पर और हरिद्वार धाम के समीप काँगड़ी में, स्वामी श्रद्धानन्दजी ने १९०१ अी० में अिस प्रसिद्ध गुरुकुल की स्थापना की। स्वामीजी का प्रधान उद्देश्य था भारत की प्राचीन गुरुकुल प्रथा का पुनरुद्धार करना।

काँगड़ी एक तपोवन के समान है। आश्रम में शान्ति विराजमान है। सब शिक्षकों और विद्यार्थियों को वहीं रहना पड़ता है। प्रत्येक विद्यार्थी अपनी शिक्षा ६ से ८ वर्ष तक की आयु में आरम्भ करता है। चौदह वर्ष

अध्ययन करने के पश्चात् उसे स्नातक (ग्रेजुयेट) की उपाधि मिलती है । दो वर्ष और लगते हैं वाचस्पति होने के लिये ।

यहाँ के प्रत्येक विद्यार्थी को २४ वर्ष की उमर तक अखण्ड ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना पड़ता है । प्रति दिन प्रातःकाल उठकर व्यायाम करना पड़ता है, और निरामिष भोजन पर निर्भर रहना पड़ता है । पाठ्यक्रम में हिन्दू संस्कृति और संस्कृत साहित्य का विशेष स्थान है । शिक्षा का माध्यम हिन्दी है ।

अस गुरुकुल में भारत के भिन्न भिन्न भागों से विद्यार्थी आते हैं । वृन्दावन में भी एक ऐसा ही गुरुकुल है । लड़कियों के लिये एक गुरुकुल देहरादून में है ।

श्रीमती नाथीबायी दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय—

इमारे कई नेताओं ने देखा कि अस देश में लड़कों और लड़कियों की शिक्षा-प्रणाली में कुछ भी भिन्नता नहीं है । यों तो अनेक चेष्टाओं की जा रही थीं कि लड़कियों की शिक्षा-प्रणाली नारी जाति की जरूरतों पर विशेष ध्यान रखे, पर फल कुछ न निकला ।

१९१६ आ० में पूना के प्रसिद्ध प्रोफेसर कर्वे ने एक महिला विश्व-विद्यालय की नींव डाली । यह विश्व-विद्यालय किसी सरकारी दस्तावेज द्वारा स्थापित नहीं हुआ है, वरन् यह है एक अयोगी पुरुष के दीर्घ प्रयत्न का फल । १८९३ आ० में, प्रोफेसर कर्वे ने पूना में एक हिन्दू विधवाश्रम की स्थापना की । इसकी माँग अतनी बढ़ी कि धीरे धीरे कुँवारी लड़कियाँ भी इसमें भरती होने लगीं । अन्त में १९१६ आ० में श्री कर्वे ने अस विश्वविद्यालय की नींव डाली ।

अस संस्था का अद्देश्य है भारत की भारी माताओं को अचित्त शिक्षा देना ताकि वे अपने भाविष्य-जीवन में अुपयोगी गृहलक्ष्मियाँ बनें । पाठ्य-

क्रम में गार्हस्थ-विज्ञान पर विशेष ध्यान दिया जाता है और शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है।

१९३० आी० में इस विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यालय बम्बई चला गया और इसका वर्तमान नामकरण किया गया, क्योंकि बम्बई शहर के एक प्रसिद्ध अद्योगपति ने अपनी माता की पुण्यस्मृति में इस प्रतिष्ठान को विशेष दान दिया। इस विद्यापीठ के कालेज बम्बई, पूना, बड़ौदा और अहमदाबाद में हैं। आजकल सरकार भी इस विद्यापीठ को यथेष्ट आर्थिक सहायता देती है।

विश्व-भारती—पहिले ही बतलाया जा चुका है कि १९०१ आी० में विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ने कलकत्ते से १०० मील उत्तर की ओर बोलपुर नामक गांव में एक ब्रह्मचर्याश्रम की स्थापना की। धीरे धीरे यह आश्रम बढ़कर एक विश्वविद्यालय में परिणत हो गया (१९२१आी०), और गुरुदेव ने उसका नामकरण 'विश्वभारती' किया।

इस विद्यापीठ का आदर्श है 'यत्र विश्वं भवत्येक नीडम्'। यथार्थ में विश्वभारती रूपी घोंसले में सारे संसार के लोग बसेरा लेते हैं। इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने में विश्वकवि का प्रधान अद्देश्य था सम्पूर्ण विश्व की सभ्यताओं को एक दूसरे के संसर्ग में ले आना, ताकि विभिन्न सभ्यताओं में पले हुए लोग परस्परकी सभ्यताको अच्छी तरह से समझ सकें और परस्पर के गुणों को ग्रहण कर सकें।

असके सिवा गुरुदेव इस देश को एक विदेशी शिक्षा-प्रणाली के अँबों से बचाना चाहते थे। अन्होंने देखा कि इस देश की शिक्षा अपनी पूर्व संस्कृति से दूर भाग रही है और यहाँ विजातीय भाषा द्वारा शिक्षा दी जा रही है।

इस कारण इस विद्यापीठ की स्थापना एक तपोवन में की गयी ताकि प्राचीन भारत के ऋषिओं के आश्रमों की जागृति लोगों के

हृदय में फिर से होवे। इसके पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति, इतिहास और भाषा का विशेष स्थान है।

पर विश्वकवि ने यह न चाहा कि भारतवासी केवल कूप-मण्डूक बने रहें। इसी कारण दूसरे देशों से सीखने योग्य ज्ञान और चर्चा का समावेश इस विद्यापीठ के पाठ्यक्रम में किया गया। साधारण पुस्तकीय ज्ञान सिखाने के सिवा, विश्वभारती प्रत्येक छात्र को आदर्श नागरिक बनाने की चेष्टा करती है। यहाँ शिल्प और कला सिखायी जाती हैं; और प्रत्येक विद्यार्थी को बोलपुर के आसपास के गाँवों में जाकर जन-सेवा करनी पड़ती है।

विश्वभारती के अलग अलग विभाग ये हैं: विद्या-भवन, शिक्षा-भवन, पाठ-भवन, कला-भवन, श्री निकेतन, शिल्प-भवन, चीन-भवन, हिन्दी-भवन, अस्लाम-भवन। विद्यापीठ के विस्तृत पुस्तकालय में १, ४५, ५०० हस्तलिखित पुस्तकें हैं।

अस प्रकार विश्व-भारती में सबसे अच्छे कोटि की गवेषणा करने की सामग्री मौजूद है। अपनी परीक्षाओंके सिवा विश्व-भारती, कलकत्ता विश्वविद्यालय की बी. ए. डिग्री तक के लिये छात्रों को तैयार करती है।

विद्यापीठ—१९२० आी० के असहयोग आन्दोलनके समय भारत के कहीं शहरोंमें (पूना, अहमदाबाद, पटना, लाहोर, काशी, अलीगढ़) विद्यापीठ स्थापित हुये। हमारे नेताओं ने देखा कि अँग्रेजी विश्वविद्यालय अस देशके बच्चों को अुचित शिक्षा नहीं दे रहे हैं। असलिये अिन नये विद्यापीठों की सृष्टि हुयी।

इन विद्यापीठोंमें शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखा गया और पाठ्यक्रममें अस देश की भाषा, सभ्यता और इतिहास सिखाने का विशेष बन्दोबस्त किया गया। पर असहयोग आन्दोलनके बाद ये विद्यापीठ प्रायः बन्द से हो गये हैं।

आजकल अिन विद्यापीठोंके मुख्य कार्य ये हैं : (अ) खादी प्रचार, (ब) ग्रामोद्धार, (स) पुस्तकप्रकाशन, (ड) हिन्दुस्तानीका प्रचार, और (ई) पुस्तकालय चलाना ।

जामिया मिलिया याने राष्ट्रीय मुस्लिम विद्यापीठ

जो विद्यापीठ अभी भी सबसे अच्छी तरह काम कर रहा है वह है दिल्ली का जामिया मिलिया । असहयोग आन्दोलन के समय डाक्टर अन्सारी ने अिसकी स्थापना अलीगढ़ में की (१९२० आी०) । पर पाँच साल के बाद अुसे दिल्ली ले आये ।

यह विद्यापीठ खुद के पाँवों पर खड़ा है और सरकारी आर्थिक सहायता की परवाह नहीं करता । पर दिल्ली म्युनिसिपालिटी, निजाम सरकार और भोपाल के नवाब प्रति वर्ष जामिया को आर्थिक सहायता देते हैं । अिनके सिवा, अिस संस्था के सात हजार से ज़्यादा हमदर्ददेन हैं जो अिसे नियमित रूपसे चन्दा देते हैं ।

जामिया का प्रधान अुद्देश्य है अपने छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा देना और अुपयोगी मुसलमान बनाना । यह अत्यन्त कठिन और पेंचीला है, पर जामियाने यह सभभव कर दिखाया है ।

प्राथमरी से लेकर सर्वोच्च शिक्षा तक की पढ़ाई अिस विश्वविद्यालय में होती है । प्रौढ़ शिक्षण और बुनियादी तालीम का विशेष बन्दोबस्त है । जामिया केमिकल वर्क्स अच्छा काम कर रहा है, और 'मक्तबा' से उर्दू किताबें प्रकाशित होती हैं ।

जामिया के प्रधानाध्यक्ष हैं प्रसिद्ध विद्वान डाक्टर जाकीर हुसेन । अुनके तत्वावधानमें यह संस्था दिन पर दिन अुन्नति करती जा रही है ।

अिस प्रकार जब हम पराधीनता की बेड़ी से जकड़े हुये पड़े थे, तब अिन अिनीगिनी संस्थाओं ने अपनी स्वाधीनता बरकरार रक्खी । अर्थाभाव

के कारण अन्हें अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ा, पर अन्होंने अपने आदर्श का बलिदान होने न दिया ।

यह राष्ट्रीय आन्दोलन अुस समय शुरू हुआ था जब कि हम अपनी संस्कृति, अितिहास और सभ्यता को भूल रहे थे । एक विदेशी भाषा में दक्षता प्राप्त करने की अिच्छा हममें प्रबल थी । अिसका विषमय फल यह होता था कि हमारी भाषाओं अवनति की ओर जा रही थीं । शिज्ञा का माध्यम अँग्रेजी होने के कारण, हम अपने भावों को ठीक तरह प्रगट भी नहीं कर पाते थे ।

पर अिन संस्थाओं ने हमारे देश की आधुनिक शिज्ञा में नवीनता ला दी । मातृभाषा का आदर बढ़ा । जन-साधारण में शिज्ञा फैलाने की अिच्छा प्रबल हो अुठी । प्रौढ़ शिज्ञा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ । और हम अपनी पुरानी संस्कृति, अितिहास और सभ्यता का अध्ययन गौर से करने लगे और अन्हें अपना देने की अिच्छा भी प्रगट करने लगे ।

धन्य हैं ये संस्थाएँ जिन्होंने हममें राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत किया !

उपसंहार

यह हुआ हमारे देश की गत डेढ़ सौ वर्ष की शिज्ञा का किस्सा । अिस दीर्घ काल में शिज्ञा में बहुत कुछ परिवर्तन हुये, स्कूल और कालेज खुले । तिसपर भी आज कोअी अिस शिज्ञा से सन्तुष्ट नहीं है । हमारे श्रेष्ठ नेताओं से लेकर अपढ़ देहाती तक अिस आधुनिक शिज्ञा के विरुद्ध कुछ न कुछ कहने के लिये सदा मसाला तैयार रखते हैं ।

अिस असन्तोष के कअी कारण हैं । प्रथम, अिस शिज्ञा में राष्ट्रीयता का अभाव है । अँग्रेजी राज्य में शिज्ञा अँग्रेजी ही रही । अिस शिज्ञा ने भारतीय व्यक्तित्व को ठुकराया और अपना सिक्का अिस देश पर पूर्ण

रीति से जमाना चाहा। कोई पद्धति विदेश में अंग भले ही जाय पर पनप नहीं सकती। किसी भी देश की शिक्षा की वृद्धि तभी हो सकती है, जब कि वह उसी देश की होवे।

द्वितीयतः, अंग्रेजी शिक्षा निरी साहित्यिक ही रही। इस किताबी पढ़ाई ने जीवन की आवश्यकताओं की ओर ध्यान न दिया। इसका असली ध्येय रहा हम लोगों को साधारण नौकरी के लिये तैयार करना। 'जी, ड्रुजूर' की शिक्षा से कुछ समय तक तरुण लोग सन्तुष्ट रहे। पर बेकारी की समस्या की वृद्धि के साथ साथ, शिक्षित समाज में काफी बेचैनी फैलती गयी। वह चाहता है ऐसी शिक्षा जोकि विद्यार्थियों को अपने भविष्य जीवन में स्वावलम्बी बना सके।

तृतीयतः, अंग्रेजी राज्य में शिक्षा का विस्तार ऐसा कुछ अल्लेखयोग्य नहीं हुआ। आज भी भारत में ८८ प्रति शत लोग अनपढ़ हैं। अंग्रेजी शिक्षा ने कुछ चुने हुये व्यक्तियों को शिक्षा दी और जन-शिक्षा को रामभरोसे छोड़ दिया, जिसका विषमय फल यह है की आज भारत अन्य देशों से बहुत कुछ पिछड़ा हुआ है। यह शिक्षा अब भी शिक्षित और अशिक्षित समाज के बीच चीन की दीवार की तरह खड़ी हुयी है।

चतुर्थतः, एक विदेशी भाषा में पारदर्शिता लाभ करने के लिये हम लोग बहुत कुछ समय बरबाद करते हैं। राजभाषा सीखना जरूरी था। पर प्रत्येक व्यक्ति को इस विदेशी भाषामें पारदर्शिता लाभ करने की क्या आवश्यकता थी? आज भी प्रत्येक विद्यार्थी को अपना तिहाई जीवन अंग्रेजी रटने के लिये खर्च करना पड़ता है। इस सबब से वह दूसरे विषयों की ओर ध्यान नहीं दे सकता। विना समझे-बूझे एक विदेशी भाषा रटने के कारण, विद्यार्थियों का पूर्णतः विकास होना भी असम्भव हो जाता है।

अिन दोषों के सिवा वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में और भी बहुतसी स्वामियां हैं। जैसे, यह शिक्षा शहरी है, जिसमें धार्मिक शिक्षा का अभाव है, आदि। सार अर्थ यह है कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली किसी भी तरह इस देश की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती। छोटे से लेकर बड़े सभी कहते हैं कि इस शिक्षा में कोअी सार नहीं है।

आज हमारा देश स्वार्थीन है। अब इस दूषित प्रथा को बदलने की काफ़ी चेष्टा की जा रही है। पर यह १५० साल की पुरानी प्रथा अेक दिन में तो बदली नहीं जा सकेगी। इसके लिये भी कुछ समय लगेगा। हमें सोच-समझकर इस प्रथा में परिवर्तन करना पड़ेगा।

पहिले तो हमारी शिक्षा राष्ट्रीय होनी चाहिये। यह जरूरी है कि यह शिक्षा हमारी पुरानी संस्कृति और अितिहास को मद्देनजर रखते हुए हमारे राष्ट्र की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करे, और हमारे राष्ट्रके वर्तमान आदर्श को सामने रखे। तात्पर्य यह कि वह शिक्षा शिक्षा ही नहीं, जो कि राष्ट्रीय न हो।

अिसके बाद हमें भारतसे अज्ञानतारूपी तिमिर का नाश करना पड़ेगा। आज ८८ फ़ी सदी भारतवासी निरक्षर हैं। जन-शिक्षा की वृद्धि के लिये काफ़ी चेष्टाओं की जा रहीं हैं। आज प्रत्येक भारतवासी अिस बातसे परिचित है कि निरक्षरता अिस देश की अुन्नति में बाधा डाल रही है। चेष्टाओं की जा रही हैं कि अिस देशके हर अेक बच्चे को मुफ्त और लाजिमी प्राथमिक शिक्षा मिले। बच्चोंके सिवा, अनपढ़ प्रौढ़ोंको भी पढ़ाने-लिखाने का आन्दोलन काफ़ी जोर पर है। सबने समझ लिया है कि शिक्षा कुछ अिने गिने लोगों के लिये नहीं वरन् सबके लिये है; और जनशिक्षाके विस्तारके विना यह देश प्रगतिशील नहीं हो सकता।

हम लोग वर्तमान कितानी पढ़ाअी से ऊब गये हैं। सर्वसाधारण की शिक्षा का आधार केवल किताबें नहीं हो सकतीं, क्योंकि अिसके कारण

दूसरों की कल्पनाओं, तर्कों और अनुभवों को रटने की प्रथा प्रचलित हो गई है। इसके सिवा, यह शिक्षा-प्रणाली सब प्रकारके बालकों के लिये समान रूपसे उपयुक्त नहीं है। आज इस देशमें ऐसी शिक्षा-पद्धति की जरूरत है जोकि निरीक्षण-परीक्षण, प्रयोग, कला-कौशल और अद्योग-धन्धे फैलाने की ओर ध्यान रखे। ऐसी पद्धति के बिना न तो इस देश की ठीक उन्नति हो सकती है, और न विद्यार्थियों का पूर्णतः विकास ही हो सकता है।

हर्ष की बात है कि मातृभाषा की चर्चा हमारे देश में हाल ही में बढ़ रही है। कुछ वर्ष पहिले हम सोचते थे कि अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के बिना हमारी शिक्षा अधूरी रह जायगी। पर यह सरासर भूल है। आज सबने एक मत होकर स्वीकार किया है कि इस देश में अंग्रेजी भाषा न तो कहीं शिक्षा का माध्यम हो, और न अंग्रेजी शिक्षा किसी पर लादी ही जावे। हमारी शिक्षा इस देश की शिक्षा होनी चाहिये और वह मातृभाषा द्वारा दी जानी चाहिये। आज विश्वविद्यालयों को छोड़कर भारत में अंग्रेजी भाषा कहीं भी शिक्षा का माध्यम नहीं है। और वहां भी वह अस्थायी है, क्योंकि उसके पैर वहां से भी अखड चुके हैं।

जबतक हम बद्धपरिकर होकर अिन कुरीतियों को मूलसे न अुखाड़ेंगे, तबतक इस देश की अुन्नतिमें पग-पग पर बाधा पहुँचेगी। अुचित शिक्षा के बिना किसी भी राष्ट्र की अुन्नति हो नहीं सकती।

हाल ही में, हमारे देश की राजनीतिक परिस्थिति ने पलटा खाया है। आज भारत पराधीनता की बेड़ी से मुक्त है। हमारे नेतागण भरसक कोशिश कर रहे हैं कि स्वाधीन भारत में प्रत्येक व्यक्ति सुख से रहे। शिक्षित मनुष्य ही इस कार्य के लिये मार्ग-प्रदर्शक बन सकते हैं। इसका सम्पूर्ण दायित्व हमारे शिक्षित नौजवानों पर है। मुल्क की सेवा के लिये अुन्हें तैयार हो जाना चाहिये। भारतमाता अुनके मुँह की ओर अेकटक देख रही है।

देश की आज़ादी के आन्दोलनमें उनका हिस्सा कुछ कम नहीं रहा, और देश के पुनर्गठन में भी उन्हें पूर्ण रीति से ठीक ठीक हाथ बँटाना पड़ेगा। उनकी शिक्षा का आदर्श केवल धन-प्राप्ति या प्रतिष्ठा-प्राप्ति न हो। वरन् उनका आदर्श हो सादगी, चारित्र्य, लोक-सेवा और सर्व-धर्म-समभाव। अीश्वर उनके प्रयत्नों को सफल करे यही कामना लेकर हम बिदा होते हैं।

परिशिष्ट पहला

टिप्पणियाँ

(१) विलियम अेडम—अेक प्रसिद्ध बेप्टिस्ट मिशनरी, जोकि भारत में १८१८ आी० में आये । अुन्होंने बँग भाषा और संस्कृत का अच्छी तरह अध्ययन किया । वे ' कलकत्ता क्रानिकल ' और ' अिण्डिया गजट ' के सम्पादक भी थे ।

अेडम साहब जनशिक्षा और मातृभाषा द्वारा शिक्षा के विशेष पक्षपाती थे । १८३५-३८ में, अुन्होंने ' बँगाल में शिक्षा ' के विषय पर तीन रिपोर्टें लिखीं । १८३८ में वे भारत छोड़कर अमेरिका वापस गये ।

(२) चार्ल्स ग्राण्ट (१७४६-१८२३) १७६७ आी० में, ग्राण्ट साहब आीस्ट अिण्डिया कम्पनी के नौकर होकर भारत आये और १७६० में अिग्लैण्ड वापस गये । १८०२ आी० में वे ब्रिटिश पार्लमेण्ट के सदस्य हुये । यह अुन्हीं के परिश्रमका फल था कि ब्रिटिश पार्लमेण्ट ने आीस्ट अिण्डिया कम्पनी को शिक्षा के लिये पैसा खर्च करने को मजबूर किया ।

(३) राजा राममोहन राय (१७७२-१८३३) प्रसिद्ध विद्वान और समाज-सुधारक । अँग्रेजी शिक्षा के प्रचार के लिये अुन्होंने भरसक कोशिश की । १८२८ आी० में अुन्होंने ब्रह्म समाज की नींव डाली । आप सर्वप्रथम हिन्दू थे, जिन्होंने अिग्लैण्ड जाने के लिये समुद्र-यात्रा की थी । अुनकी कबर बृस्टल में है ।

(४) डेविड हेयर (१७७५-१८४२) ये केवल घड़ीसाज थे और कलकत्तामें १८०० आी० में बस गये थे । अुन्होंने कई स्कूल खोले और अुन्हींके प्रयत्न से कलकत्ता हिन्दू कालेज स्थापित हुआ । १८४२ आी० में अुनकी मृत्यु हैजे से हुअी । आज भी उनका नाम प्रत्येक शिक्षित बँगाली आदर के साथ लेता है ।

(५) अलफिन्सटन (१७७६-१८५६) प्रसिद्ध विद्वान और अतिहास लेखक । अन्होंने कम्पनी की नौकरी १७६५ आी० में शुरू की और अन्त में बम्बयी के गवर्नर हुये । लन्दन के सेण्ट पाल्स गिरजे में उनकी अेक विशाल मूर्ति है ।

(६) श्रीरामपूर त्रिमूर्ति-अर्थात् कारे, वार्ड और मार्शमेन । ये तीन प्रसिद्ध मिशनरी श्रीरामपूर में आकर १७९३ आी० में बस गये थे । कारे अेक प्रसिद्ध विद्वान थे, वार्ड साहब छापाखाने का काम चलाते थे, और मार्शमेन साहब अनुभवी शिक्षक थे । अन्होंने वाआिविल का लगभग २६ भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर प्रकाशित किया ।

(७) डफ साहब (१८०६-७८)—भारतमें आये हुअे मिशनरियों में आप सबसे अधिक मशहूर थे । वे भारतमें १८३० आी० में आये । कलकत्ता विश्वविद्यालय और मेडिकल कालेज को स्थापित करने में अन्होंने बहुत बड़ा भाग लिया था । असके सिवा, वे बहुत साल तक 'केलकटा रिव्यू' के सम्पादक भी रहे ।

(८) नये अँग्रेजी स्कूल और कालेज : ढाका, कृष्णनगर, बहरामपूर, पटना, बरेली, सागर, कटक, पूना, अहमदाबाद, लाहोर अित्यादि ।

(९) नार्मल स्कूल—मद्रास, कलकत्ता, ढाका, बम्बई, पूना और आगरा में स्थापित हुये ।

(१०) हजसन साहब (१८००-१८६४)—आप भारत में १८१८ आी० में आये और नेपाल दरबार में अेलची रहे । मातृभाषा द्वारा शिक्षा के आप विशेष पक्षपाती थे ।

(११) बेथून साहब (१८०१-५१)—आप भारत सरकार के कानून सचिव होकर १८४८ आी० में आये । आप काअुन्सिल आफ अेजूकेशन के प्रधान भी थे । अन्होंने अपनी सारी कमाओ बेथून कालेज को दान में दी । यह दान आपकी महत्ता का परिचय देती है ।

(१२) सर विलियम हण्टर (१८४०-१९०१)—प्रसिद्ध इतिहास लेखक और वार्त्सराय की प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्य। आप कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाअिस चेन्सलर भी रहे।

(१३) केन्द्रीय दस्तकारी के मुख्य विषय ये हैं : कताओ-बुनाओ; कृषि; बागवानी; गत्ते, लकड़ी तथा लोहे के काम; गृह-विज्ञान-लड़कियों के लिये। स्थानिक परिस्थिति के अनुकूल और भी कोई अन्य उत्पादक दस्तकारी।

(१४) अहिंसात्मक शिक्षा : “ मेरी अिस योजना की तह में अहिंसा रही है। — मेरे ख्यालमें स्वावलम्बी प्राथमिक शिक्षा के सिवा दूसरे किसी ढंग से हम अुन्हें अैसा बना नहीं सकते। अिस मामले में यूरोप हमारा आदर्श नहीं बन सकता। क्योंकि वह हिंसा में विश्वास करता है, और अिसलिये अुसकी तजवीजें और कार्रवाइयाँ हिंसा पर आश्रित रहती हैं। हमसे कहा जाता है कि अिंग्लैण्ड शिक्षा पर लाखों रुपया खर्च करता है और अमेरिका का भी वही हाल है। मगर कहनेवाले भूल जाते हैं कि अुनका यह धन लूट का धन होता है। लूट या शोषण की अिस कला को अुन्होंने विज्ञान का रूप दे रक्खा है और यही वजह है कि वे आज अपने बालकों को अितनी महँगी शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन न हम शोषण की बात सोच सकते हैं, और न सोचना पसन्द ही करेंगे। अिसलिये हमोर पास शिक्षा की अिस अहिंसात्मक योजना के सिवा और कोओी अुपाय नहीं रह जाता।” (गान्धीजीका भाषण—अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा-परिषद्, वर्धा, २२-१०-१९३७)

(१५) मुख्य विषय—केन्द्रीय दस्तकारी, मातृभाषा, गणित, प्राकृतिक विज्ञान, समाजशास्त्र (भूगोल और इतिहास), धुनाई और कताई का साधारण ज्ञान, कसरत, कला और संगीत, हिन्दुस्तानी।

(८९)

परिशिष्ट दूसरा

आंकिक कोष्ठक

शिक्षा-संस्थाओं और छात्र-संख्या-अंग्रेजी भारत-(१९४२-४३) में

संस्था का नाम	संस्था-संख्या	छात्र-संख्या
स्वीकृत संस्थाओं		
विश्वविद्यालय	१५	११,४३३
आर्ट्स कालेज	३५४	११२,७१६
औद्योगिक कालेज	१०१	२४,५८५
हाथीस्कूल	४,१६४	१,३३६,८४६
मिडिल स्कूल	११,२२७	१,३६२,६३१
प्राथमिकी स्कूल	१७६,०५४	१२,०१८,३५८
विशिष्ट स्कूल	११,७८०	४३३,१६५
कुल स्वीकृत संस्थाओं	२०३,६६५	१५,३३३,०३४
कुल अस्वीकृत संस्थाओं	१५,६८२	४६४,६६३
कुल जोड़	२१९,३७७	१५,७९७,७२७
कुल व्यय	रु.३१,६१,४२.०८०	

ग्रन्थ-सूची

A. Books

1. BASU, A. N. : Education In Modern India (Orient Book Co.).
2. BASU, B. D. : Ed. In India Under The East India Co. (Modern Review Press)
3. HARTOG, P. : Some Aspects of Indian Ed. (O. U. P.)
4. James, H. R. : Ed. & Statesmanship In India (Longmans)
5. KEAY, F. E. : Indian Ed. In Ancient & Later Times (O. U. P.)
6. MAHMUD, SYED : A History of English Ed. In India (Aligarh University).
7. MAYHEW, A. : The Ed. Of India (Faber).
8. MESTON, W. : Indian Educational Policy (Christian Lit. Soc. Madras)
9. MUKERJI, S. N. : Ed. In India Today & Tomorrow (Padma).
10. MUKERJI, S. N. : Ed. In India In The XX Century (Padma).
11. NAIK & NURULLAH : History of Ed. In India (Macmillan).
12. PARANJPAYE, M.R. : A Source Book Of Modern Indian Ed. (Mac.)
13. SEN, J. : Elementary Ed. In India (Book Co., Cal.)
14. SIQUEIRA, S. J. : Ed. Of India (O. U. P.)
15. VAKIL, K. S. : Education In Modern India (Tr. College, Kolhapur).
16. ZUTSHI, M. L. : Ed. In Modern India (Indian Press Ltd., Allahabad).

B. Reports

1. Adam : Reports On The Education In Bengal, 1835-38.
2. Selections From Educational Records, Vol I & II. 1813-52.
3. Report Of The Hunter Commission, 1882.
4. Report Of Indian Universities Commission, 1902.
5. Govt. Of India's Resolution on Indian Educational Policy, 1904.
6. Govt. Of India's Resolution On Indian Educational Policy, 1913.
7. Report Of The Calcutta University Commission, 1919.
8. Hartog Committee's Report, 1929.
9. Abbott-Wood Report, 1937.
10. Zakir Hussain Committee's Report, 1937.
11. C. A. B. 's Report On Post-War Educational Development, 1944.
12. Bureau of Ed. : Annual and Quinquennial Reports On Ed. In India .

अनुक्रमणिका

- अँग्रेजी भाषा, १८, २४-२८, ३२, ८२.
 अलाहबाद, ३८, ४७, ५५.
 अलीगढ़, ३४, ५४, ८०.
 असहयोग आन्दोलन, ५३.
 अहमद, सर सयद, ३४.
 आगरा, २०, ५४.
 आजाद, अबुल, कलाम, ७३, ७४.
 अिर्जिनियरीग, २०, २८, ४४, ५०.
 अेडम, विलियम, ११, १३, २८, २९.
 अेलफिन्सटन, १९, २०, ८७.
 औद्योगिक शिक्षा, ४८, ६४, ६५.
 कर्जन, ३९-४४.
 कमीशन, कलकत्ता विश्वविद्यालय, ५०-५२,
 ५४; हष्टर, ३४-३७; युनिवर्सिटी ४०;
 कलकत्ता, कमीशन, ५०, ५२, ५४;
 प्रोसिडेन्सी कॉलेज, १८; मदरसा, १६;
 विश्वविद्यालय, ३२, ३४, ४०, ५०,
 ५१, ५४
 स्कूल बुक सोसायिटी, १९.
 कारे, २१, ८७.
 केन्द्रीय सलाहकारी शिक्षा परिषद, ५२, ६३.
 खेर कमेटियाँ, ६९.
 गान्धीजी, ९, ६५, ६६, ८८, ८९.
 प्राण्ट-इन-एड, ३२, ३३, ३५.
 प्राण्ट, सर चार्ल्स, १७, ८६.
 गुरुकुल, ४५, ७६, ७७.
 गोखले, गोपाल कृष्ण, ४६, ४७, ५८.
 चाटैर, (१८१३), १७, १८, २३
 २५; (१८२३), २४; (१८५३),
 ३०, ३१.
 जन-शिक्षा, २४, २५, ५८, -६१.
 जाकीर हुसैन, ६६, ६७, ८०.
 जातीय शिक्षा, ३६, ३७, ४४,
 ७५-८१.
 जामिया-मिलिया, ८०, ८१.
 टमेसन, २९.
 ट्रेनिंग, १६, १९, २८, ३२, ३३,
 ३५, ५१.
 टोल, १३, १४.
 ठाकुर, रवीन्द्रनाथ, ४३, ५५, ७५,
 ७८, ७९.
 डंकन, जनाथन, १७.
 डफ, २२, ८७.
 थेयोंसाफीकल सोसाईटी, ६७, ७५.
 नागपुर, २८, ४७, ५४.
 ना० ठा० म० विश्वविद्यालय, ७७, ७८.
 नैशनल प्लेनिंग कमेटी रिपोर्ट, ७२, ७३.
 पंजाब, २८, ५४.
 पटना, ४९, ५९.
 प्रस्ताव, (१९०४), ४२; (१९१३),
 ४७, ४८.
 पाठ्यक्रम २१, ३८, ४२.
 प्राच्य-पाश्चात्य मतभेद, २३, २५, ४२.

प्राथमिक शिक्षा, १३, १९, ३५,
४६—४८, ६२.

पेरी एरस्किन, २३.

प्रौढ-शिक्षा, ६०, ६२, ७१.

बंगाल, ९, १०, ४३, ४४.

बनारस, १७, २०, ४९, ५४.

बड़ौदा, ५४.

बम्बई, १०, २२; नेटिव स्कूल सोसायिटी,
१९, २०; शिक्षा-समिति, २९;
विश्वविद्यालय, ३२, ३३, ३४, ५४.

बुनियादी शिक्षा, ६९—७२.

बेप्टिस्ट, २४—२७.

बेथुन, ३०, ८८.

मकतब, १२, १४.

मदरसा, १३, १४, १६.

मद्रास, १०, १६, २०, ३२, ३३.

मातृ-भाषा, २४, २९, ३१, ४२: ५४.

माध्यमिक शिक्षा, ३०, ३५, ४२, ४८,
५०, ५६—५८, ६२.

मार्शमेन, २१, ८७.

मिशनरी, १५, १७, २१, २२, २८,
३०, ३६—३८.

मेकाले, २५, २७, २९.

मेडीकल, २०.

मैसूर, ४९, ५४.

रामकृष्ण मिशन, ३७, ३८.

राय, राजा राममोहन, १९, २३, ८६, ८७.
लाहोर, ३८, ५४.

वर्धा-योजना, ६५—६८, ७२.

वार्ड, १२, २०, ८७.

विद्यापीठ, ४३, ५३, ७९.

विश्व-भारती, ४५, ७८, ७९.

विश्वविद्यालय, १५, ३२, ३४, ४०—
४३, ४६, ४८, ५४—५६.

वुड, सर चार्ल्स, ३१.

शिक्षा-माध्यम, ४३, ५१, ७४.

शिक्षा-विभाग, ३२, ३३.

श्रीरामपुर, २१, ८७.

समिति, प्रधान शिक्षा, १८, २३,
२४—२६.

सार्जेंट रिपोर्ट ७०—७१.

सिमला कान्फेरन्स, ३९, ४०, ४३.

स्कूल लीविंग परीक्षा, ३६, ३९.

हजीसन, २८, ८८.

हण्टर, सर विलियम, २४ ८८.

हल्काबन्दी, १९.

हार्टग, सर फिलिप, ९, ६१.

हेयर, डेविड, १९, ८५.

होस्टिंग, १६, १७.

हैद्राबाद, ४९, ५४.

